

खाता खोलने का फार्म (गैर-व्यक्तिगत ग्राहक)

आवेदन का प्रकार	☐ नया	☐ अद्यतन करना है	तिथि		कार्यालयीन उपयोग हेतु
ग्राहक सीआईएफ नंबर				शाखा कोड	
खाता नंबर					
केवाईसी नंबर (केवाईसी अद्यतन करने के लिए अनिवार्य)					
खाता धारक का प्रकार:	☐	यूएस रिपोर्टेबल	☐	अन्य रिपोर्टेबल (कृपया सामान्य अनुदेशों के पृष्ठ 14 की मद 'क' देखें)	

क) तारांकित (*) को घाना अनिवार्य है
ख) जहाँ लागू हो ☒ लागू है
ग) स्थिति को दिदि -धाम-वचवच फॉर्मेट में भरें
घ) घडनीय मोटे अक्षरों में भरें।
ङ) खंडबार वितुलु दिशानिर्देश अनुदेश पढ़ें
च) सामान्य अनुदेशों में दो अक्षरों का आएलत ओ 3166 देश कोड भारतीय मोटर वाहन अनिवार्य 1988 के अनुसार राज/पूरी कोड में उपलब्ध है।
छ) किसी विशेष क्षेत्र को अद्यतन करने के लिए उप कोड के सामने दिए गए बॉक्स (✓) लगाएँ और जो लागू न हों उन्हें काट दें।
ज) अद्यतन करने के लिए केवाईसी नंबर अनिवार्य है।
झ) प्रमुख शब्दों की परिभाषा इस भाग के अंत में दी गई है।

☐ मेरा/ हमारा बीओआई में कोई खाता नहीं है या
 ☐ मेरा/हमारा बीओआई में खाता है जिसकी खाता संख्या है ।

1. इकाई विवरण (कृपया सामान्य दिशानिर्देश की मदद 'ग' देखें)

1. इकाई का नाम
(सोटे अक्षरों में)

कारोबार शुरू करने की तिथि *: (पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए लागू)

निगमन/गठन की तिथि *: पैन या फर्म 60 (कंपनियों तथा भागीदारियों को छोड़कर)

(केवल भारत में कर भरनेवाली इकाइयों के लिए पैन ही टीआईएन है)

निगमन / गठन का स्थान *: _____ निगमन गठन का देश (कोड - आईएसओ 3166) (सामान्य अनुदेश देखें)

जीएसटीएन : [] पहचान का प्रकार [] (कृपया सामान्य अनुदेश का मद ग'2 देखें) यदि अन्य अ है तो उल्लेख करें _____

इकाई की संरचना *: (कृपया सामान्य अनुदेशों का अनुदेश 'ख' देखें) विधिक संस्था सं.:

सी.आई.सी. (केवल कंपनी के मामले में लागू) ईआईसी सं: _____

2. पहचान का प्रमाण (कृपया सामान्य अनुदेशों का अनुदेश 'घ' देखें)

☐ निगमन / गठन का प्रमाणपत्र	☐ पंजीकरण प्रमाणपत्र	☐ अन्य _____
☐ खाता परिचालन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति की पहचान का प्रमाणस्वरूप स्वीकार्य दस्तावेज	☐ बोर्ड/प्रबंध समिति का संकल्प	
☐ संस्था के बहिर्निर्गम एवं अंतर्निर्गम/भागीदारी विलेख/न्यास दस्तावेज	☐ गतिविधि का प्रमाण (केवल एकल स्वामित्व इकाई के लिए)	

3. संबंधित व्यक्ति/ लाभार्थी मालिक का विवरण

(हर संबंधित व्यक्ति के लिए अलग-अलग 'अनुलग्नक 2' भरना है, सामान्य अनुदेशों की मद 'छ' देखें)

संबंधित व्यक्तियों की संख्या*:

--	--

 (संबंधित व्यक्ति से आशय है निदेशक, प्रमोटर, कर्ता, ट्रस्टी, भागीदार, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, लाभार्थी मालिक, न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी)

लाभार्थी मालिकों की संख्या *:

--	--

(यद्यपि लाभार्थी मालिक संबंधित व्यक्ति है, संबंधित व्यक्तियों में से लाभार्थी मालिकों की संख्या संबंधित व्यक्तियों में से अलग रूप से तय की जाएगी लाभार्थी के मालिक संबंधित व्यक्ति का अंश/उपअंश है) (परिभाषा के लिए पृष्ठ 18 देखें)

4. पते का प्रमाण (आधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेज की प्रति, जहां भी लागू है, प्रस्तुत करें) (कृपया अंत में दिए गए अनुदेश ड देखें)

4.1 वर्तमान/स्थायी/विदेश पता विवरण*

☐ भारत में पंजीकृत कार्यालय (यदि लागू है)/ कारोबार स्थान का पता

पता का प्रकार*: ☐ आवासीय/ कारोबार ☐ आवासीय ☐ कारोबार ☐ पंजीकृत कार्यालय ☐ गैर-सूचित

पत्तों का प्रमाण *: ☐ निगमन / गठन का प्रमाणपत्र ☐ पंजीकरण प्रमाणपत्र

লাইন*1:

[illegible][illegible][illegible]

राज्य/यूटी का नाम कोड*: देश कोड*:
(आईएसओ 3166)

4.2 पत्र व्यवहार/स्थानीय पता का विवरण

☐ वर्तमान/स्थायी पते के अनुसार (एक से अधिक संपर्क/स्थानीय पते होने के मामले में, कृपया 'अनुलग्नक 3' भरें)

पते का प्रकार* ☐ आवासीय/कारोबार ☐ आवासीय ☐ कारोबार ☐ पंजीकृत कार्यालय ☐ गैर-सूचित

पते का प्रमाण *: ☐ निगमन/गठन प्रमाणपत्र ☐ पंजीकरण का प्रमाणपत्र

লাইন*1:

[illegible][illegible]

जिला _____ पिन/पोस्ट कोड _____

राज्य/यूटी का नाम कोड [] [] देश कोड (आईएसओ 3166) [] []

4.3 यदि इकाई भारत के बाहर की निवासी है और वहां पर ही कर देती है तो उस कानूनी अधिकार क्षेत्र में उसका पता*

☐ वर्तमान / स्थायी / विदेश पते के विवरण के अनुसार

☐ पत्र व्यवहार / स्थानीय पते के अनुसार

पते का प्रकार * ☐ आवासीय / कारोबार

☐ आवासीय

☐ कारोबार

☐ पंजीकृत कार्यालय

☐ गैर-सूचित

पते का प्रमाण (भारत के बाहर पंजीकृत इकाईओं के लिए):

☐ पंजीकरण प्रमाणपत्र या ऐसा ही अन्य प्रमाणपत्र

☐ निगमन / गठन का प्रमाणपत्र

लाइन*1:

लाइन*2:

लाइन*3:

शहर / नगर / गांव

राज्य*:

जिप/पोस्ट कोड

देश कोड *

आईएसओ 3166)

5. संपर्क विवरण (सभी सूचनाएं मोबाइल नंबर/ई-मेल आईडी पर भेजी जाएंगी) (कृपया अंत में दिए गए अनुदेश 'च' देखें)

टेलीफोन

टेलीफोन (निवास):

(कार्यालय):

फैक्स:

मोबाइल 1:

मोबाइल 2:

ई-मेल आई डी 1:

ई-मेल आई डी 2:

6. कारोबार का प्रकार

☐ विनिर्माता

☐ व्यापारी

☐ खुदरा विक्रेता

☐ सेवा प्रदाता

☐ निर्यात / आयात

☐ रियल एस्टेट

☐ रत्न एवं आभूषण

☐ शैक्षणिक संस्थाएं

☐ होटल व्यवसाय

☐ शराब डीलर

☐ अन्य

उद्योग कोड*:

(कृपया उद्योग कोड के लिए पृष्ठ 7 देखें)

वार्षिक कुल बिक्री (टर्नओवर)

☐ 0-5 लाख

☐ 5-10 लाख

☐ 10-25 लाख

☐ 25 लाख-1 करोड़

☐ 1-5 करोड़

☐ 5-50 करोड़

☐ 50-100 करोड़

☐ 100 करोड़ से अधिक

बीओआई के साथ लेनदेन (वर्ष)

स्थान

शाखा

खाते का प्रकार

(ऋण सुविधाएं) (बीओआई) (यदि कोई हों)

7. खाते का प्रकार

☐ चालू खाता

☐ बचत बैंक खाता

☐ आवर्ती जमा खाता

☐ सावधि जमा

☐ विशेष सावधि जमा

☐ अन्य

कृपया उल्लेख करें

8. परिचालन विधि

☐ अकेले

☐ संयुक्त रूप से

☐ अलग-अलग

☐ बोर्ड के संकल्प के अनुसार

☐ अन्य

(कृपया उल्लेख करें)

9. अपेक्षित सेवाएं (अपेक्षित सेवा पर (✓) लगाएं (सेवा प्रभार लागू))

कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग:

देखने के अधिकार ☐

लेन-देन करने के अधिकार ☐

चेक बुक ☐

डेबिट कार्ड ☐

पीओएस की सुविधा (कार्ड स्वाइप करने की मशीन) ☐

एसएमएस अलर्ट ☐

प्लैटिनम डेबिट कार्ड ☐

अन्य ☐

स्टेटमेंट की अवधि

मासिक ☐

तिमाही ☐

अर्ध-वार्षिक ☐

ई-स्टेटमेंट भेजने के लिए ई-मेल आईडी

एसएमएस भेजने के लिए मोबाइल 1

☐ या मोबाइल 2 ☐

(कृपया खाता आवेदन पत्र में भाग 1 में दिए गए मोबाइल नंबर देखें)

10. खाता प्रकार:

खाता प्रकार नाम:

(कृपया हमारी वेबसाइट देखें या हमारी शाखा में जाएं)

11. वचन पत्र: अन्य बैंक / वित्तीय संस्थाओं से ऋण सुविधा

☐ मैंने/ हमने निम्नानुसार अन्य बैंक (बैंकों) वित्तीय संस्था (संस्थाओं) से ऋण सुविधा नहीं ली है) या

दिनांक

☐ मैंने/ हमने निम्नानुसार अन्य बैंक (बैंकों)/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) से ऋण सुविधा ली है ।

क्र. सं.	ऋण प्रदाता बैंक/ वित्तीय संस्था का नाम	शाखा	शाखा का पता (ई-मेल व पिन नंबर सहित)	खाता संख्या	"कार्यालयीन उपयोग हेतु" एनओसी प्राप्त
					हाँ ☐ नहीं ☐
					हाँ ☐ नहीं ☐
					हाँ ☐ नहीं ☐

ध्यान रहे : खाता खोलने से पहले सभी ऋण प्रदाता बैंकों से एनओसी लिया जाए।

अन्य संस्था का विवरण :

युनिशियन करें कि वह संस्था वित्तीय संस्था वित्तीय संस्था है या गैर वित्तीय संस्था है (कोई भी संस्था या तो वित्तीय संस्था हो सकती है या गैर -वित्तीय संस्था, दोनों नहीं)

☐ वित्तीय संस्था (एफआई) : (वित्तीय संस्था के सामने (✓) लगाने पर कृपया सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए अनुलग्नक 1 और अनुलग्नक 2 भरें)

☐ गैर वित्तीय संस्था (एनएफआई) : यदि संस्था एनएफआई है तो क्या वह ☐ सक्रिय एनएफआई या ☐ निष्क्रिय एनएफआई है।

(कोई संस्था या तो सक्रिय एनएफआई या निष्क्रिय एनएफआई हो सकती है, दोनों नहीं, कृपया सक्रिय या निष्क्रिय एनएफआई के संबंध में सामान्य दिशानिर्देश 'ज' देखें)

नियंत्रक व्यक्तियों की संख्या

(केवल निष्क्रिय एनएफआई के मामले में लागू, प्रत्येक नियंत्रक व्यक्ति के लिए कृपया अनुलग्नक 2 भरें)

प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग करनेवाली गैर-वित्तीय विदेशी संस्था :

यदि हों तो कृपया प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग करनेवाली एनएफआई का

जीआईआईएन दर्शाएं :

विधिक इकाई पहचानकर्ता (एलआईआई कोड क्र.)

(जहां पर लागू है)

कर के नियमों के अनुसार आवास का देश

केवल भारत में कर भरने वाली इकाई न कि भारत के बाहर किसी अन्य देश की निवासी

(हाँ पर (✓) निशान लगाने पर नीचे दिए गए प्रश्नों को न भरें)

फटका एवं सी.आर.एस. बॉक्स

यू एस का टैक्स रसीडेंट हों नहीं (यदि हाँ है तो टीआईएन भरें) यूएस टिन :

यदि यूएस का टैक्स रसीडेंट है तो, क्या वह व्यक्ति

यूएस व्यक्ति है नहीं (यू एस के टैक्स व्यक्ति के लिए अनुदेश ज देखें)

विनिर्दिष्ट यूएस व्यक्ति (अनुदेश 'त' देखें)

(यदि विनिर्दिष्ट यूएस व्यक्ति का उत्तर हाँ है तो संस्था की यूएस रिपोर्ट योग्य होगी)

यूएस के अलावा भारत के बाहर का कर निवास हों नहीं

यदि हों तो देश का कोड भरें

और टीआईएन / वैसी ही सक्रिय संख्या / समतुल्य पहचान नंबर भरें

यदि कर निवासी भारत से बाहर, यु.एस. से ग्रिन्ड, हों हैं तो क्या वह संस्था किसी निम्नलिखित श्रेणी के अंतर्गत आती है (निम्नलिखित श्रेणी में से चुने-यदि इनमें से कोई भी हाँ नहीं है तो खाली अन्य रिपोर्टेबल खाली है)

1. कोई निगम जिसके स्टॉक की खरीद-फरोख्त व्यापार एक या अधिक सुस्थापित सिन्डिकेटेड बाजार में होती है

2. कोई संस्था जो उपर्युक्त (1) में व्याख्यायित निगम से संबंधित संस्था है।

3. सरकारी संस्था

4. कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन

5. केंद्रीय बैंक

6. वित्तीय संस्था

कर उद्देश्य के लिए कोई निवास नहीं।

मद (1) से (6) तक के संबंध में किसी हाँ पर (✓) निशान लगाने पर पर किसी खाली को अन्य रिपोर्टेबल खाली नहीं माना जाएगा

यदि संस्था न तो भारत की कर निवासी है, या यूएस की या यूएस के अलावा भारत के बाहर की कर निवासी है, तो कर भरने के प्रयोजन हेतु कोई आवास नहीं श्रेणी में हाँ भरा जाएगा

यदि हाँ हो तो कृपया उस देश का कोड भरें जहां पर संस्था का प्रधान कार्यालय स्थित है

बहुदेशीय कर आवास

(यदि हाँ तो नीचे का टेबल भरें)

1. यदि संस्था विनिर्दिष्ट व्यक्ति है तथा यूएस के अलावा भारत के बाहर का कर निवासी भी है, तो उसे बहुदेशीय कर निवासी संस्था माना जाएगा।

2. यदि संस्था विनिर्दिष्ट यूएस व्यक्ति नहीं है पर भारत से बाहर एक से अधिक देशों की कर निवासी है, तो उसे बहुदेशीय कर निवासी संस्था माना जाएगा।

यूएस के अलावा भारत के बाहर की कर निवासी	टीआईएन या वैसी कोई संख्या (प्राधिकारी द्वारा जारी)	पहचान का प्रकार (टीआईएन, कंपनी पहचान नंबर (सीआईएन), ईआईएन या अन्य कोई, कृपया उल्लेख करें)
पता*		
लाइन*1:		शहर:
लाइन*2:		राज्य:
लाइन*3:		पिन:
यूएस के अलावा भारत के बाहर का कर निवासी	टी आई एन या वैसी कोई संख्या (प्राधिकारी द्वारा जारी)	पहचान का प्रकार (टीआईएन या वैसी कोई संख्या (सीआईएन), ईआईएन या अन्य कोई, कृपया उल्लेख करें)
पता*		
लाइन*1:		शहर:
लाइन*2:		राज्य:
लाइन*3:		पिन:

फार्म 60 केवल उन इकाइयों के लिए लागू है, जो कंपनियों तथा भागीदारी से भिन्न है (जिनके पास पैन उपलब्ध नहीं)

नाम
(पहचान प्रमाण के अनुसार)

यदि पैन के लिए आवेदन किया हुआ है और जारी नहीं किया गया है तो आवेदन की तिथि तथा पावती नंबर
यदि पैन के लिए आवेदन नहीं किया है तो उस वित्त वर्ष जिसमें उपर्युक्त लेन-देन किया गया है, की अनुमानित कुल आय भरें (पति/पत्नी, अवयस्क बच्चे आदि की आय सहित) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 64 के अनुसार)

कृषि आय ₹ कृषि के अलावा अन्य आय

सत्यापन

मैं एतद्-द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर जो भी लिखा गया है, वह मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि जिस वित्तीय वर्ष में यह लेन-देन किया गया है, उसमें मेरी/हमारी अनुमानित कुल आय (पति/पत्नी, अवयस्क बच्चे आदि को शामिल करके) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 64 के अनुसार परिकलित कर योग्य अधिकतम राशि से कम ही होगी।

सत्यापित : आज दिन माह वर्ष

स्थान :

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

नामांकन : केवल एकल स्वामित्व खाता हेतु

- ☐ मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन करना चाहता/चाहती हूँ या
☐ मैं अपने / हमारे खाते में नामांकन नहीं करना चाहता/चाहती हूँ

नामांकन फार्म (डीए1)

बैंक जमा राशियों के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 जेडए और बैंककारी कंपनी (नामांकन) नियम 1985 के नियम 2 (1) के अंतर्गत नामांकन मैं/हम व्यक्ति को नामित करता/करती हूँ / करते हैं, जिसे मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु होने पर जमा राशि जिसके विवरण नीचे प्रस्तुत किए गए हैं, बैंक ऑफ इंडिया (उस शाखा/कार्यालय का नाम व पता जहां जमा राशि रखी गई है) द्वारा वापस कर दी जाए।

नामांकन क्रम संख्या

जमा राशि का विवरण :

जमा राशि का प्रकार खाता नंबर :

नामिनी का नाम

नाम

जमाकर्ता के साथ रिश्ता आयु नामिनी की जन्म तिथि

पता

शहर : पिन राज्य

नामिनी का सीआईएफ नंबर (एलसीपीसी द्वारा भरा जाए)

चूंकि इस तिथि को नामिनी अवयस्क, है इसलिए मैं/हम श्री/श्रीमती/सुश्री आगु, वर्ष

पता

को नामिनी की अवयस्कता के दौरान मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु होने पर नामिनी की ओर से जमा की राशि प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता/करती/करते हैं।

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

साक्षी का निजी विवरण (यदि आवेदक निरक्षर है और अंगूठे का निशान लगा रहा है, तो साक्षी की आवश्यकता है)

साक्षी 1 नाम :

साक्षी 2 नाम :

पता :

पता :

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

स्थान : दिनांक :

स्थान : दिनांक :

आवेदक की घोषणा :

- मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं इसी परिपक्वता के साथ मैं/हमको तत्काल सूचित करने का वचन देता/देती हूँ। यदि कोई जानकारी गलत या झूठी या भ्रामक या गलत प्रस्तुत की जाती है तो मैं/हम उसके लिए जिम्मेदार रहूँगा/रहेंगे।
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम इकाई की ओर से हस्ताक्षर करने की क्षमता रखता हूँ/रखते हैं।
- मैं/हम प्रमाणित करता/करती हूँ/करते हैं कि कंपनी नियम 2017 (श्रेणियों की संख्या पर प्रतिबंध) के उप-नियम (2) में उल्लिखित कंपनियों की श्रेणी में यह शामिल है और इसकी दो श्रेणियों से अधिक अनुसूचियाँ नहीं हैं। (कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 21 सितंबर 2017 के राजपत्र की अधिसूचना क्र. 793 में दिए गए विवरणों के अनुसार)।
- मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने भारतीय स्टेट बैंक के नियमों तथा बैंक द्वारा दी जानेवाली सेवाओं, जिसमें डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/एसएमएस बैंकिंग / टेली बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग / वर्चुअल बैंकिंग तथा अन्य सुविधाएँ शामिल हैं, को पढ़ लिया है। मैं/हम उनका अनुपालन करने के लिए सहमत होता हूँ/देती हूँ, जो बैंक/वित्तियामक/सरकार द्वारा परिपक्व, अधिसूचनाओं, सूचना फलक/वेबसाइट/समाचार-पत्र प्रकाशन के जरिए समय-समय पर संशोधित की जाएगी। ऐसे संशोधनों के संबंध में व्यक्तिगत सूचना देने के अधिकार को मैं/हम परित्याग करता हूँ / करते हैं। मेरे/हमारे खाते में मेरे/प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा इंटरनेट, मोबाइल, टेली बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग के माध्यम से मेरे/हमारे युजर आईडी तथा पासवर्ड/पिन/ओटीपी द्वारा किए गए लेन-देन का अनुरोध भुझे / हम पर विधिक रूप से बाध्य होंगे और ऐसे मामलों में प्राधिकृत करने के विवरण तथा किसी अन्य जानकारी/विवरण/ओटीपी/पिन आदि की गोपनीयता तथा विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए मैं/हम जिम्मेदार हूँ/हैं। मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि कोई सेवा शुल्क, ज्वय या अन्य वैध राशि जित पर बैंक का हक है/या जिसकी वसूली मुझे से की जाती है, के लिए मेरे/हमारे खाते को नामे करने का अधिकार बैंक को है। किसी नियम/वित्तियम या खाता के परिचालन संबंधी शर्तों के विचलन/पालन न करने पर, बिना सूचना के मेरे खाते को समाप्त करने/उसे बारी न रखने के लिए मैं/हम बैंक को प्राधिकृत करता हूँ/करते हैं। मेरे पत्राचार के पते या संगठन में कोई परिवर्तन/संशोधन होने पर, मैं/हम बैंक को उसकी सूचना देने के लिए वचन देता हूँ/देती हूँ और एक साक्षात् से दुररी साक्षात् में खाते का अंतरण करने पर मैं/हम पते का प्रमाण दूँगा/देंगे।
- आधार विवरण के अनुसार खोले गए खातों के संबंध में, मैं/हम द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे/हमारे पास 2002 के तद्वत वैवाइसी आदेशों के अनुसार पहचान तथा/या पते के प्रमाण के तौर पर यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड प्रस्तुत किया है। बैंक द्वारा यूआईडीएआई से उसका सत्यापन करने तथा बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन द्वारा मेरी पहचान तथा/या पते के प्रमाण के तौर पर यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड प्रस्तुत किया है। बैंक द्वारा यूआईडीएआई से उसका सत्यापन करने तथा बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन द्वारा मेरी पहचान और पते की सूचना बैंक को देने के लिए मैं यूआईडीएआई को प्राधिकृत करता/करती हूँ।
- मैं/हम पुष्टि करता/करती हूँ / करते हैं कि किसी भी प्रचलित विधि का/वित्तियामक/संवैधानिक या अन्य प्रावधानों से खाता खोलने तथा/या उसके परिचालन बैंक के साथ लेन-देन करने के लिए मुझे/हमें रोक/प्रतिबंधित नहीं किया गया है।
- मेरे/हमारे व्यक्तिगत केवाईसी विवरण को केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के साथ साक्षात् करने हेतु मैं/हम सहमत होता/देती हूँ/देते हैं। मेरे/हमारे पंजीकृत मोबाइल नंबर-ई-मेल पते पर एसएमएस/ई-मेल से बैंक/केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री/भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य प्राधिकारी से सूचना प्राप्त करने के लिए मैं/हम सहमत होता हूँ/देते हैं। मैं/हम इसके लिए भी सहमत हूँ/हैं कि किसी ऐसे एसएमएस/ई-मेल के न मिलने के कारण बैंक किसी भी प्रकार की हानि या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- मैं/हम प्रमाणित करता/करती हूँ/करते हैं कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की 7 अगस्त 2015 की अधिसूचना क्र. एस.ओ. 2155(इ) द्वारा आवक अधिनियम, 1961 की धारा 285 बीए के अंतर्गत लागू नियमों तथा इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के 28 अगस्त 2015 के परिपक्व क्रमांक डी.सी.आर.एस.एल.सी.सी. क्र. 36/14.01.001/2015-16 के अनुसार मैंने/हमने परवर्ती संशोधन सहित अपनी स्थिति की घोषणा कर दी है।
- मैं/हम समझता/समझती हूँ/समझते हैं, स्वीकार करता / करती हूँ/करते हैं तथा प्राधिकृत करता/करती हूँ/करते हैं कि आधार की हैसियत/स्थिति तथा/या उसमें निर्धारित अन्य मानदंडों के आधार पर आधार अधिनियम के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार और इस मामले पर भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के आधार पर, बैंक को मेरे/हमारे खाते (खातों) से संबंधित विवरण निर्धारित

प्रारूप पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), या अन्य सरकारी एजेंसी को अंतर-सरकारी करार (आईडीए) की बाध्यता के अनुपालन के तहत विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (फटीआ) तथा कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स (सीआरएस) तथा/या किसी समान व्यवस्था रिपोर्ट किए जा सकते हैं।

- मैं/हम प्रमाणित तथा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि खाता खोलने तथा अन्य सेवाएँ प्राप्त करने के लिए अपना वेबसाइट/इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/प्रमाण तथा खाता खोलने के लिए एवं अन्य सेवा प्राप्त करने के लिए मेरे/हमारे द्वारा बिना गलत/दस्तावेजी त्रुटि, जैसी जाबजब है के अनुसार सच सही और संपूर्ण है तथा मैंने/हमने ऐसी कोई महत्वपूर्ण सूचना नहीं छपाई, जिससे कि मेरे/हमारे खाते को यू.एस. रिपोर्टेबल खाता या अन्य रिपोर्टेबल खाता या अन्य के रूप में निर्धारित करने/संशोधन करने में बाधा बन सके। यदि मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी/निवारण गलत या झूठा या भ्रामक या गलत प्रस्तुत किए जाने पर, मैं/हम उसके लिए जिम्मेदार रहूँगा/होगे।
- मैं/हम वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि मेरे द्वारा यहाँ/अथवा अन्य स्थान पर दी गई जानकारी, प्रस्तुत दस्तावेजी प्रमाण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने अथवा कोई प्रमाणीकरण गलत होने अथवा बदले जाने पर, ऐसे परिवर्तन की तारीख से 30 दिनों के अंदर इसकी घोषणा एवं सूचना देने की जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी। जब कभी अपेक्षित होने पर दस्तावेजी सचुत के साथ गया एवं वैध स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करने का भी मैं वचन देता/देती हूँ। जब तक उपयुक्तानुसार बैंक को संशोधित स्व-प्रमाणीकरण प्रस्तुत किया नहीं जाता, तब तक मेरे द्वारा दिए गए ऐसे सभी संशोधित दस्तावेज/जानकारी के मामले में भी यहाँ दिया गया वचन लागू होगा।
- मैं/हम इस बात से भी सहमत हूँ/हैं कि अब या भविष्य में मुझे/हमें शत कोई महत्वपूर्ण तथ्य/सूचना प्रकट करने या निर्धारित समय के भीतर किसी दस्तावेज/सूचना की किसी विसंगति का समाधान नहीं करने पर मैं/हम खाते से लेनदेन कर नहीं पाऊँगा/पाऊँगी/पाएँगे। अन्य विवरण तथा मेरे खाते में परिचालन पर रोक लगाने या उसे बंद करने या किसी भी वित्तियामक या भारत सरकार (पीओआई) / भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस कार्य के लिए तैनात किसी प्राधिकरण या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड/भारतीय रिजर्व बैंक / भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई शुरू करने का अधिकार बैंक को होगा।
- भारत या विदेश में खाता के परिचालन या रख-रखाव से संबंधित किसी भी नियम के बदलने के कारण मुझे/हमसे मांगी जानेवाली किसी भी प्रकार की जानकारी प्रस्तुत करने सूचित करने के लिए मैं/हम सहमत हूँ/हैं।
- मेरे/हमारे द्वारा दिए गए विवरण में चूक/गलती या गलत या अधूरी जानकारी देने के कारण बैंक को यदि कोई हानि/नुकसान होने पर, मैं/हम उसकी क्षतिपूर्ति करूँगा/करूँगी/करेंगे।
- बैंक की अपेक्षानुसार आवधिक अंतरालों पर केवाईसी अद्यतन करने के लिए नए केवाईसी दस्तावेज सहित डाटा/जानकारी देने के लिए मैं/हम वचन देता / देती हूँ/देते हैं।
- मैं/हम समझता / समझती हूँ/हैं कि बैंक द्वारा केवाईसी संबंधी ग्राहक की समुचित जांच किए जाने पर ही खाता सक्रिय किया जाएगा और नाम अनुमत्त किए जा सकेंगे।
- खाता खोलने के लिए अपेक्षित मासिक औसत न्यूनतम शेष के बारे में मुझे/हमें सूचित किया गया है तथा यह संशोधन/परिवर्तन के अधीन होगा तथा ऐसे संशोधन/परिवर्तन को बैंक की वेबसाइट में रखा जाएगा, जो मुझे सूचना के रूप में स्वीकार्य होगा।
- खाता खोलने के छः महीने के भीतर आधार तथा/या पैन प्रस्तुत करनेका मैं/हम वचन देता / देती हूँ/देते हैं। ऐसा न करने पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पैन बंद होना तथा आधार अधिनियम 2005 (अभिलेखों का रखरखाव) नियमों में संशोधन करके (यदि खाता आधार/पैन के बिना खोला गया है तो गैर-खाता बंद किया जा सकता है।
- यदि खाता शोतलेत समय वर्तमान पते के लिए आधिकारिक वैध दस्तावेज माने जाने वाले दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं तो खाता खोलने के 3 माह के भीतर आधार या वर्तमान पते वाले आधिकारिक वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का मैं / हम वचन देता/देती हूँ / देते हैं। ऐसा न करने पर भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार मेरे खाते में परिचालन को रोक जा सकता है।
- मैं पुष्टि करता/करती हूँ और वचन देता/देती हूँ कि मैं वर्चुअल करेंसी का व्यापार नहीं करूँगा/करूँगी तथा वर्चुअल करेंसी की किसी सेवा से संबंधित कार्य के लिए अपने खाते का प्रयोग नहीं करूँगा/करूँगी।
- मैं संबंधित खाता योजना में निर्धारित औसत मासिक शेष (वयुएवी) रखने का वचन देती हूँ तथा औसत मासिक शेष न रखने पर टंटा/राक जुक्त करने के लिए सहमत हूँ।

कृपया यहाँ फोटो चिपकाएँ

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 1 के हस्ताक्षर (क्रम का ध्यान रखें)

नाम :
पद :
दिनांक :
नाम, हस्ताक्षर, मुहर और सत्यापन करने वाले अधिकारी का एस.एस. क्र.

कृपया यहाँ फोटो चिपकाएँ

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 2 के हस्ताक्षर (क्रम का ध्यान रखें)

नाम :
पद :
दिनांक :
नाम, हस्ताक्षर, मुहर और सत्यापन करने वाले अधिकारी का एस.एस. क्र.

कृपया यहाँ फोटो चिपकाएँ

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 3 के हस्ताक्षर (क्रम का ध्यान रखें)

नाम :
पद :
दिनांक :
नाम, हस्ताक्षर, मुहर और सत्यापन करने वाले अधिकारी का एस.एस. क्र.

कार्यालय उपयोग हेतु

1. आवेदक से बातचीत की और प्रयोजन अभिनिश्चित किया गया (प्रयोजन का उल्लेख करें): _____

2. क्या ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किए गए स्व-प्रमाणपत्र तथा दस्तावेजों को सत्यापित किया जा चुका है और उन्हें सही एवं विश्वसनीय पाया गया है ?
(ध्यान रहे : प्रमाणपत्र के सामने हों होने पर ही खाता खोला जाए)

हाँ ☐ नहीं ☐

3. प्रारंभिक सीमा _____

4. दस्तावेज प्राप्त :

☐

स्वतः प्रमाणित

☐

सत्यापित प्रतियाँ

☐

नोटरी

5. जोखिम संवर्ग/श्रेणी

☐

उच्च

☐

मध्यम

☐

निम्न

6. व्यक्तिगत ग्राह्यापत्र किया गया और आवेदक को दस्तावेज की जात पड़ताल पत्र से की गई

7. प्राधिकृत अधिकारी ने खाता आवेदन पत्र पर दिए गए स्ववाचिकारी ईकाई की गतिविधि का सत्यापन किया

☐

हाँ

☐

नहीं

अधिकारी का नाम :

पीएफ नंबर :

पदनाम :

दिनांक :

एसएस नंबर :

हस्ताक्षर :

सीआईएफ खोला जाए

संख्यापत्र संख्या

संक्षिप्त हस्ताक्षर

दिनांक :

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

सी आई एफ :

खाता खोलें

शाखा प्रबंधक/प्राधिकृत अधिकारी (हस्ताक्षर)

खाता खोलने की तारीख :

खाता नंबर :

यदि कोई टिप्पणी करनी है तो :

<u>अदातार (दस्तावेज)</u> नाम : _____ कर्मचारी/अधिकारी का नाम : _____ एसएस नंबर/पीएफ संख्या : _____ कर्मचारी/अधिकारी का नाम : _____ कर्मचारी/अधिकारी का नाम : _____	अधिकारी (हस्ताक्षर) नाम : _____ अधिकारी/पदधारी का नाम : _____ एसएस नंबर/पीएफ संख्या : _____ कर्मचारी/अधिकारी का पदनाम : _____ कर्मचारी/अधिकारी की शाखा : _____
--	--

खाता बंद करने की तिथि

खाता दिनांक

शाखा

को अंतर्गत ट्रांसफर किया गया

प्राधिकृत पदधारी (हस्ताक्षर)

चालू खाता के नियम

- यदि ग्राहक द्वारा वैकल्पिक चैनलों से चालू खाता नहीं खोला जाता है तो खाते में राशि जमा करने के लिए ग्राहक द्वारा हस्ताक्षरित जमा पर्ची का उपयोग किया जाना चाहिए। जमा पर्ची का काउंटरफाइन के साथ कुछ प्रमुख बैंक को जमा कराया जाएगा और किए गए लेन-देन का अधिप्रमाणन बैंक के प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा किया जाएगा। जमा कर्ता के स्वयं संतुष्ट होना चाहिए कि लेनदेन प्रमाणित है।
- चेक बैंक के मुद्रित फार्म में ही आहरित किया जाए। इससे भिन्न रूप से आहरित किसी भी चेक का भुगतान बैंक द्वारा रोक जा सकता है। चेक पर किसी भी प्रकार के संशोधन की स्थिति में बैंक उसका भुगतान रोक सकता है बशर्ते कि वह आहरणकर्ता के पूरे हस्ताक्षर से अधिप्रमाणन नहीं किया गया है। चेक के आहरण के समय ध्यान दिया जाए कि उसमें संशोधन के लिए कोई गुंजाइश न हो तथा उसपर किए गए हस्ताक्षर बैंक के पास रखे हुए नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप होना चाहिए।
- बिना पूर्व व्यवस्था के ग्राहक को अपने खाता का अधि आहरण नहीं करना चाहिए, भले ही कितनी कम राशि की क्यों न हो। चालू खाते में ओवरड्राफ्ट की सुविधा वर्तमान अनुबंधों के अन्तर्गत है। दैनिक शेष पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर ब्याज लगाया जाएगा।
- ग्राहक से सूचना मिलने पर बैंक किसी गुप्तशुदा, खोए हुए चेक की अवायगी रोकने के अनुरोध नोट करेगा परंतु यदि चेक का इस दौरान भुगतान न हो इसकी गारंटी नहीं दे सकेगा।
- बैंक ग्राहक के बिल, ड्राफ्ट, चेक, पेंशन बिल आदि की परामर्श करता है। व्यक्तिगत खातों में बैंक बाहरी केंद्र के चेक, ड्राफ्ट डिविडेंड वारंट आदि का पूर्व निर्धारित सीमा तक तुरंत जमा भी देता है।
- स्थानीय चेक आदि की वसूली सीटीएस समाशोधन के माध्यम से की जाएगी।
- समाशोधन के लिए भेजे गए चेकों, बिलों की राशि खाते में जमा होने तक उनके प्रति आहरण नहीं किया जाना चाहिए।
- जो चेक, बिल आदि मांग पर संदेय नहीं हैं उनको उनकी देय तिथि से कम से कम एक कार्य दिवस पहले बैंक के पास उगाही के लिए प्रस्तुत करना चाहिए।
- आवधिक अंतरालों पर धन-प्रेषण आदि के लिए बैंक स्थायी आदेशों का स्वीकार करता है।
- आवधिक अंतरालों पर ग्राहकों को खाते की विवरणी भेजी जाएगी और किसी भी समय आवेदन करने पर प्राप्त हो सकती है। ग्राहक को विवरणी के हर एक मद को ध्यान से जांच करना चाहिए और यदि कोई भूल-चूक की त्रुटि पाई गई है तो उसे तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए। इस आवधानी के ज बरतते जाते के कारण होलेवाली हानि के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।
- ग्राहक के पते में कोई परिवर्तन हो तो उसे बैंक के साथ किए जानेवाले पत्राचार तथा जमा पर्चियों में ग्राहक को साफ-साफ अक्षरों में खाता खोलते समय दिए गए खाता नंबर का उल्लेख करना चाहिए।
- ग्राहक के आवेदन पर बैंक के किसी अन्य शाखा में खाते को अंतरित किया जा सकेगा।
- बैंक, सिविलियुटिटीज एवं शेषों की सुरक्षित अभिरक्षा एवं ब्याज की वसूली आदि के लिए स्वीकार करता है जिसकी जानकारी आवेदन पर प्राप्त हो सकती है।
- इन नियमों में संशोधन / जोड़ने / कम करने का अधिकार बैंक के पास है।

उद्योग कोड

1. एयरलाइंस/एवियेशन	15. कसीनो	29. आयात/निर्यात	43. स्टील / हाईवेयर
2. विज्ञापन एजेंसी	16. सीमेंट / पेंट	30. मैनुफैक्चरिंग	44. स्टॉक एवं शेयर
3. कृषि/कृषीतर उद्योग	17. चिट फंड	31. महाजन	45. टैक स्टार्टअप
4. आटोमोबाइल	18. उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	32. मीडिया/मनोरंजन	46. टेलिकाम
5. आटोपार्ट्स	19. कुरियर / माल कार्गो	33. मेडिकल / स्वास्थ्य	47. कपड़े / वस्त्र
6. आटो फिनांस	20. निर्माण / आवासन	34. मार्बल एवं ग्रेनाइट	48. यात्रा एवं पर्यटन
7. हथियारों के व्यापार	21. कंसेलटैंसी (सलाहकार सेवाएं)	35. तेल एवं गैस	49. यातायात/माल वाहना
8. बैंकिंग/वित्तीय सेवाएं	22. इलेक्ट्रॉनिक्स	36. पेट्रोल पंप	50. विदेशी मुद्रा के व्यापार/सराफा
9. इंजीनियरिंग एवं कैपिटल गुड्स	23. फर्नीचर / लकड़ी	37. औषध बनानेवाली कंपनियां	51. प्रोफेशनल
10. खाद्य / रसायन / बीज	24. सरकारी निकाय	38. पावर/बिजली	(डाक्टर/वकील/इंजीनियर सलाहकार आदि)
11. कीटनाशक	25. होटल / रेस्टोरेंट	39. मुद्रण/प्रकाशन	52. रिटेल चैन / एफएमसीसी
12. मत्स्यपालन / मुरीपालन	26. अस्पताल / क्लिनिक / नर्सिंग होम	40. धार्मिक संस्थाएं	53. आईटी सेवाएं
13. जवाहरात / आभूषण	27. इन्फ्रास्ट्रक्चर	41. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	
14. काल सेंटर / बीपीओ	28. बीमा	42. स्कूल / कॉलेज / संस्थाएं	

	वित्तीय संस्था की स्थिति को टिक कर				
	इकाई का नाम				
1.	क) डिपोजिटरी संस्था ख) संरक्षक संस्थान ग) विशेष इकाई जो लिमिटेड एन.एफ.डी बतौ है घ) निर्दिष्ट बीमा कंपनी				
2.	मालिक-आधारभूत यूएस मालिक के साथ प्रलेखित वित्तीय संस्था (अनुलग्नक - II) के अनुसार आधारभूत यूएस मालिक का विवरण लेना है।				
3.	रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था				
4.	यदि उपरोक्त 2 और 3 हाँ हैं तो कृपया वैधक माध्यमता पहचान नंबर (जीआईआईएन) दें।				
5.	गैर प्रतिभाविता वित्तीय संस्था				
6.	गैर रिपोर्टिंग वित्तीय एकाई (यदि छॉं तो जीचे अलिका में किसी एक श्रेणी में टिक करें)				
क्र.सं	एनआरएफआई की श्रेणी			क्र.सं	एनआरएफआई की श्रेणी
1.	सरकारी इकाई :		13		भविष्य निधि
2.	अंतरराष्ट्रीय संगठन :		14		एक भारतीय निवेश इकाई जो पूरी तरह से एनआरएफआई द्वारा (i) से (xiii) में उल्लिखित है और जो किसी भी ऋण ब्याज को किसी एक डिपोजिटरी संस्था या एनआरएफआई द्वारा (ii) से (xiii) में उल्लिखित, में रखते हैं।
3.	केन्द्रीय बैंक :		15		योग्य क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता :
4.	ट्रिटि डेवलपमेंट रीटायरमेंट फंड :		16		सीटीबीटी नियमों के अनुसार निर्दिष्ट निवेश इकाई (नियम 11 4 एफ (5) (एफ)):
5.	नेरो पार्टिसिपेशन रीटायरमेंट फंड :		17		छुट प्राप्त सामूहिक निवेश इकाई
6.	ब्रोड पार्टिसिपेशन रीटायरमेंट फंड :		18		ट्रस्ट्री - डाकुमेन्ट इंडिया ट्रस्ट
7.	किरी सशर्मी इकाई की पेञ्शन लिमि :		19		स्थानीय ग्राहक आधारिता वित्तीय संस्थान
8.	अंतराष्ट्रीय संगठन की पेञ्शन लिमि :		20		कोपी बागींग बैंक, भुक्ती राउकरनी बैङ्क, राज्य राउकरनी बैङ्क, जिला केन्द्रील अठाकरनी बैंक, अठाकरनी क्षेत्र किस्से खोलीय अठाकरनी बैङ्क चत्तरों किस्से अठाकरनी प्राधिकरण नियामक १३४ एफ (एफ) के स्थायीकरण (ओ) के अनुसार, ओ।
9.	केन्द्रीय बैंक की पेञ्शन लिमि :		21		वेथेल क्या मुख्य खाते वाली वित्तीय संस्था
10.	सशस्त्र बलों की गैर सार्वजनिक निधि :		22		प्रायोजित निवेश इकाई और नियंत्रित विशेशी कॉपरिशन (रिपोर्टिंग योग्य यूएस खाते के संबंध में)
11.	कर्मचारियों राज्य बीमा निधि :		23		प्रायोजित सीमित धाटता वाली निवेश वाहन (रिपोर्टिंग योग्य यूएस खाते के संबंध में)
12.	ग्रेंच्युरी निधि :		24		एक भारतीय निवेश इकाई जो पूरी तरह से एनआरएफआई द्वारा (ii) से (xiii) में उल्लिखित है और जो किसी भी ऋण ब्याज को एक डिपोजिटरी संस्था या एनआरएफआई द्वारा (i) से (xiii) में उल्लिखित है, में रखते हैं।

दिनांक :

--	--	--	--	--	--	--

स्थान _____

7

(प्रत्येक नियंत्रक व्यक्ति/संबंधित व्यक्ति/लाभार्थी मालिक के लिए अलग अलग फार्म भरा जाए)

केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए आवेदन का प्रकार* ☐ नया ☐ अद्यतन करना है आवेदक (सीपी/आरपी) का सीआईएफ नंबर सीपी/आरपी/खाता क्रमांक	नाम एवं कोड नंबर वाला खंड स्टॉप शाखा द्वारा लगाया जाना चाहिए	नियंत्रक व्यक्ति/ संबंधित व्यक्ति/ लाभार्थी मालिक का फोटो
---	--	--

संस्था का नाम

1. नियंत्रक व्यक्ति/संबंधित व्यक्ति/लाभार्थी मालिक का विवरण (कृपया सामान्य अनुदेश देखें):

1. क नियंत्रक व्यक्ति के विवरण (निष्क्रिय एनएफई के लिए):

☐ नियंत्रक व्यक्ति को जोड़ना
 ☐ नियंत्रक व्यक्ति को हटाना
 ☐ नियंत्रक व्यक्ति के विवरण अद्यतन करना

केवाईसी क्रमांक (यदि उपलब्ध हो तो)
 (केवाईसी क्रमांक उपलब्ध होने पर केवल नियंत्रक प्रकार एवं नाम अनिवार्य)

नियंत्रण का प्रकार :
 विधिक व्यक्ति के मामले में ☐ स्वामित्व ☐ अन्य प्रकार ☐ वरिष्ठ पदधारी
 न्यास के मामले में ☐ व्यवस्थापनकर्ता ☐ न्यासी ☐ संरक्षक ☐ लाभार्थी ☐ अन्य
 अन्य कानूनी व्यवस्था के ☐ सेटलर के समान ☐ न्यासी के समान ☐ संरक्षक के समान ☐ लाभार्थी के समान ☐ अन्य के समान
 मामलों में :
 अपरिचित के मामले में ☐

1. ख संबंधित व्यक्ति के विवरण

☐ नियंत्रक व्यक्ति को जोड़ना
 ☐ नियंत्रक व्यक्ति को हटाना
 ☐ नियंत्रक व्यक्ति के विवरण अद्यतन करना

संबंधित व्यक्ति का केवाईसी क्रमांक (यदि उपलब्ध हो तो)
 (केवाईसी क्रमांक होने पर केवल संबंधित प्रकार एवं नाम अनिवार्य)

संबंधित व्यक्ति प्रकार* ☐ निदेशक ☐ प्रवर्तक ☐ कर्ता ☐ न्यासी ☐ भागीदार ☐ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
 (लागू होने पर एक से अधिक ☐ न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी ☐ लाभार्थी ☐ लाभार्थी मालिक ☐ अन्य
 बॉक्स पर टिक किया जा सकता है) (पृष्ठ क्र 18 की परिभाषा देखें)

2. वैयक्तिक विवरण* (कृपया अनुदेश ख. II देखें)

श्रिफ़क्स	पहला नाम	बीच का नाम	अंतिम नाम
नाम (पहचान पत्र प्रमाण के समान)*			
आंतरांगिक नाम (यदि कोई हो तो)*			
पिता का नाम*			
पति/पत्नी का नाम*			
माँ का नाम*			
यूआईडी/आधार संख्या	अथवा आधार नामांकन संख्या		
डीआई एन (डाइरेक्ट आईडेंटिफिकेशन नंबर) :	(संबंधित व्यक्ति के निदेशक होने पर अनिवार्य)		
जन्म तिथि * :			
लिंग : ☐ प-पुरुष ☐ म-महिला ☐ टी-ट्रांसजेंडर			
वैवाहिक स्थिति * : ☐ विवाहित ☐ अविवाहित ☐ अन्य	राष्ट्रीयता : ☐ भा-भारतीय ☐ अन्य	देश कोड (आईएसओ 3166)	
निवास स्थिति * : ☐ निवासी वैवाहिक ☐ नैऋ-भारतीय निवासी ☐ विदेशी राष्ट्रिक ☐ भारतीय मूल के व्यक्ति			
नागरिकता * : ☐ भारतीय ☐ अन्य			
व्यवसाय प्रकार ☐ श-रोया ☐ सार्वजनिक क्षेत्र ☐ निजी क्षेत्र ☐ सरकारी क्षेत्र			
☐ अ-अन्य ☐ व्यवसायी ☐ स्वनिर्वाह ☐ सेवानिवृत्त ☐ गृहिणी ☐ छात्र			
☐ व-व्यावसाय ☐ गैर-वर्गीकृत			
राजनीतिक रूप से जुड़ा व्यक्ति : ☐ हाँ ☐ नहीं	राजनीतिक रूप से जुड़ा व्यक्ति वह होता है, जिसे किसी विदेश में प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई हो। उदाहरण के लिए राज्यों अथवा सरकार के प्रमुख, वरिष्ठ सरकारी/न्यायिक/सेना अधिकारी, राज्य सरकार के स्वामित्व के निगमों के वरिष्ठ कार्यपालक, महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के अधिकारी आदि।		
कठ निवासी देश का कोड * : (भारत का कोड 'भा' है)			
भारत के कठ निवास का टी देश कोड एवं भारत के बाहर का किसी देश अथवा संघ क्षेत्र का नहीं* ☐ हाँ ☐ नहीं	(जवाब नहीं होने पर कृपया पृष्ठ 2 के कॉलम 6 एवं 7 में विवरण भर दें)		

पैन/ कर पहचान क्रमांक(टिन) अथवा एसी टी कोड अन्य संख्या * :

(यदि कर प्रयोजन से निवास का क्षेत्राधिकारी भारत होने पर, इस फील्ड में पैन नंबर भर दें।)

जन्म स्थान/शहर :

जन्म के देश का कोड * :

(आईएसओ 3166)

3. आधार / पैन में वर्तमान पता न होने पर पते का प्रमाण

(वर्तमान पता युक्त निम्नलिखित में से कोई एक आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए)

- ☐ ए-पासपोर्ट
 ☐ बी-मतदाता पहचान पत्र
 ☐ सी-ड्राइविंग लाइसेन्स
 ☐ डी-एनआईडी जॉब कार्ड
 ☐ ई-राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी किया गया ई-पत्र जिसमें ये शामिल हो
 ☐ एफ-आधार
 अथवा

पहचान क्रमांक :

जारी करने की तिथि :

वैधता समाप्त होने की तिथि :

3 माह की सीमित अवधि के लिए वर्तमान पते का प्रमाण (अगर बिन्दु क्रमांक 3 में आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों में अद्यतन पता नहीं है)

आधिकारिक रूप से वैध माने जाने वाले किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए

पते का प्रकार * : ☐ आवासीय पता ☐ आवास ☐ व्यवसाय ☐ पंजीकृत कार्यालय ☐ गैर-सूचित

पते का प्रमाण * : ☐ यूटिलिटी बिल ☐ नगरपालिका कर रसीद ☐ पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) ☐ राज्य/केंद्र/सरकारी/सांविधिक अथवा विनियामक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र निकाय/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक /वित्तीय संस्था/सूचीबद्ध कंपनियों के नियोजकों द्वारा जारी आवास आबंटन पत्र

4. आवास विवरण:

☐ स्थायी पता जो वर्तमान पता के समान हो

दस्तावेज क्रमांक / पहचान क्रमांक * :

द्वारा जारी कर्ता * :

जारी करने की तिथि :

जारी करने का स्थान * :

वैधता समाप्त होने की तिथि (यदि लागू हो तो) * :

लाइन 1 * :

लाइन 2 * :

लाइन 3 * :

जिला * :

शहर/नगर/गाँव * :

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

पिन/डाक कोड * :

नाम का कोड * :

देश का कोड * :

(आईएसओ 3166)

5. संपर्क विवरण (सभी पत्र, दिए गए मोबाइल नंबर-ई-मेल आईडी पर ही भेजे जाएंगे) (कृपया अंत में दिए गए अनुदेश 'च' को देखें)

टेलीफोन (कार्यालयीन) :

टेलीफोन (आवासीय) :

फैक्स :

मोबाइल 1 :

मोबाइल 2 :

ई-मेल आईडी 1 :

ई-मेल आईडी 2 :

6. बहुविध कर रेसिडेंसी : संयुक्त राज्य अमेरिका तथा/अथवा भारत के बाहर के किसी देश अथवा क्षेत्र के बाहर के कर रेसिडेंस देश के विवरण (भारत के अलावा) :

कर रेसिडेंस का देश	कर पहचान क्रमांक अथवा एसा कोई प्राथमिकता द्वारा जारी किया गया हो	पहचान का प्रकार (टिन अथवा अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें)

यदि कर रेसिडेंस का देश भारत है तो पैन को टिन माना जाएगा।

1. संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म लेने वाले व्यक्ति सहित संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक, जो अन्य देश का निवासी हो (जिसके संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता नहीं छोड़े हो)

संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति

3. कुछ ऐसे व्यक्ति जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक वर्ष 180 से अधिक दिन रहते हैं।

7. क्षेत्राधिकार/देश के बाहर का पता-जहाँ आवेदक कर प्रयोजन के लिए अनिवासी भारतीय है

पते का प्रकार * : ☐ आवासीय / व्यवसाय ☐ आवासीय ☐ व्यवसाय ☐ पंजीकृत कार्यालय ☐ गैर-सूचित

लाइन 1 * :

लाइन 2 * :

लाइन 3 * :

जिला * :

शहर/नगर/गाँव * :

पिन/डाक कोड * :

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के

देश का कोड :

नाम का कोड * :

(आईएसओ 3166)

नाम : (पहचान पत्र के प्रमाण के समान हो)

पैन के लिए आवेदन किया गया हो और अभी तक न मिला हो तो कृपया आवेदन करने की तारीख और पावती क्रमांक दर्ज करें।
यदि पैन के लिए आवेदन नहीं किया गया है, तो उस वित्त वर्ष जिसमें उपर्युक्त लेनदेन किया गया है, के लिए आय कर अधिनियम 1961 की धारा 64 के अनुसार (पति/पत्नी, अवयस्क बच्चे आदि की) आय सहित अनुमानित कुल आय भरें।

कृषि आय (₹)

कृषि आय से अन्य (₹)

सत्यापन

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे पास स्थायी खाता क्रमांक (पैन) नहीं है और आय कर अधिनियम 1961 की धारा 64, उसके प्रावधानों के अनुसार उस वित्त वर्ष जिसमें यह लेनदेन किया गया, के दौरान परिगणित मेरी/हमारी आय (पति/पत्नी, अवयस्क बच्चे आदि की आय सहित) अधिकतम राशि जिस पर कर नहीं लगाया जाता, से कम है।
आज दिनांक 20 को सत्यापित किया गया।

स्थान :

घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर

9. आवेदनकर्ता की घोषणा

- मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरे/हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही हैं और मैं/हम उसमें कोई बदलाव होने पर आपको उसकी सूचना तुरंत दूंगा/दूँगी/देगा/देगी।
- भी सूचना गलत अथवा भ्रामक अथवा गलत प्रस्तुत किए जाने पर मुझे/हमे पता है कि मैं/हम इसके लिए जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी/रहेंगे।
 - मेरे/हमारे केवाईसी विवरण केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री के साथ साझा किए जा सकते हैं।
 - उपर्युक्त पंजीकृत मोबाइल नंबर/ई-मेल पते पर एसआरएसई-गैल से केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री से सूचना प्राप्त करने के लिए मैं/हम सहमत होता/देती हूँ/देते हैं।
 - मैं/हम प्रमाणित करता/करती हूँ / करते हैं कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की 7 अगस्त 2015 की अधिसूचना क्र. एस.ओ. 2155 (ई) द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285 बीए के अंतर्गत लागू नियमों तथा इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के 28 अगस्त 2015 के परिपत्र क्रमांक डीबीआर.एमएल.बीसी.क्र. 36/14.01.001/2015-16 के अनुसार मैंने/हमने परवर्ती संशोधन सहित अपनी स्थिति की घोषणा कर दी है।
 - मैं/हम समझता/समझती हूँ/समझते हैं, स्वीकार करता/करती हूँ/करते हैं तथा प्राधिकृत करता/करती हूँ/करते हैं कि आवास की स्थिति तथा/या उसमें निर्धारित अन्य मानदंडों के आधार पर आयकर अधिनियम के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार और और इस मामले पर भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के आधार पर, बैंक को मेरे/हमारे खाते (खातों) से संबंधित विवरण निर्धारित प्रारूप पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), या अन्य सरकारी एजेंसी को अंतर-सरकारी करार (आईजीए) की बाध्यता के अनुपालन के तहत विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (फटका) तथा कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स (सीआरएस) तथा/या किसी समान व्यवस्था के तहत रिपोर्ट किए जा सकते हैं।
 - मैं/हम प्रमाणित तथा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि खाता खोलने तथा अन्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए अथवा वेबसाइट/इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षरित/प्रमाणित तथा खाता खोलने के लिए एवं अन्य सेवा प्राप्त करने के लिए मेरे/हमारे द्वारा किया गया दस्तावेजी प्रमाण, मेरी जानकारी के अनुसार सही और संपूर्ण है तथा मैंने/हमने ऐसी कोई महत्वपूर्ण सूचना नहीं छिपाई, जिससे कि मेरे/हमारे खाते को यू एस रिपोर्टेबल खाता या अन्य रिपोर्टेबल खाता या अन्य के रूप में निर्धारित करने/वर्गीकरण करने में बाधा उत्पन्न हो। मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी/विवरण गलत या झूठी या भ्रामक या गलत प्रस्तुत किए जाने पर, मैं/हम उसके लिए जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।
 - मैं/हम वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि मेरे द्वारा यहाँ/अथवा अन्य स्थान पर दी गई जानकारी, प्रस्तुत दस्तावेजी प्रमाण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने अथवा कोई प्रमाणीकरण गलत होने अथवा बदल जाने पर, ऐसे परिवर्तन की तारीख से 30 दिनों के अंदर इसकी घोषणा एवं सूचना देने की जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी। जब कभी अपेक्षित होने पर दस्तावेजी प्रमाण के साथ नया एवं वैध स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करने का भी मैं वचन देता/देती हूँ। जब तक उपर्युक्तानुसार बैंक को संशोधित स्व-प्रमाणीकरण प्रस्तुत किया नहीं जाता, तब तक मेरे द्वारा दी गई ऐसे सभी संशोधित दस्तावेज/जानकारी के मामले में भी यहाँ दिया गया वचन लागू होगा।
 - मैं/हम इस बात से भी सहमत हूँ/हैं कि अब या भविष्य में मुझे/हमें ज्ञात कोई महत्वपूर्ण तथ्य/सूचना प्रकट करने या निर्धारित समय के भीतर किसी विसंगति का समाधान नहीं करने पर मैं खाते से लेनदेन कर नहीं पाऊँगा। अन्य विवरण तथा मेरे खाते में परिचालन पर रोक लगाने या उसे बंद करने या किसी भी विनियामक या भारत सरकार (जीओआई)/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस कार्य के लिए तैनात प्राधिकरण है, या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड/भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई शुरू करने का अधिकार बैंक को है।
 - भारत या विदेश में खाता के परिचालन या रख-रखाव से संबंधित किसी भी नियम के बदलने के कारण मुझसे/हम से मांगी जानेवाली किसी भी प्रकार की जानकारी प्रस्तुत करने या सूचित करने के लिए मैं/हम सहमत हूँ/हैं।
 - मैं/हम प्रमाणित करता/करती हूँ/करते हैं कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नियम/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मुझे/हमें संस्था की ओर से हस्ताक्षर करने की पात्रता है।
 - मेरे/हमारे द्वारा दिए गए विवरण में चूक/गलती या गलत या अधूरी जानकारी देने के कारण बैंक को यदि कोई हानि/नुकसान होने पर, मैं/हम उसकी क्षतिपूर्ति करूँगा/करूँगी/करेंगे।

दिनांक

स्थान :

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

सत्यापन / केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए

दस्तावेज प्राप्त ☐ स्व प्रमाणित ☐ सत्य प्रति ☐ नोटरी ☐ जोखिम श्रेणी: ☐ उच्च ☐ मध्यम ☐ कम

पहचान के सत्यापन द्वारा व्यक्तिशः सत्यापन किया गया ☐ किया गया ☐ दिनांक:

कर्मचारी/पदधारी के हस्ताक्षर कर्मचारी/पदधारी का नाम

भविष्य निर्दिष्ट क्रमांक कर्मचारी/पदधारी का पदनाम कर्मचारी/पदधारी की शाखा :

विविध पत्राचार/स्थानीय पते के लिए आवेदन फार्म

अनुलग्नक - III

(विविध पते के लिए अलग से फार्म भरना है)

अनुदेश :

- जहाँ * चिह्न हैं उसे भरना अनिवार्य है
- फार्म को अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में भरें

आवेदन का प्रकार* : ☐ नया ☐ अद्यतन करना है

केवाईसी नंबर (वितीय संस्था द्वारा भरा जाए)

(अद्यतन करने के अतुरोध के समस्त संस्था की केवाईसी संख्या देना अनिवार्य है)

पते का प्रमाण (पीओए)

पत्राचार/स्थानीय पता विवरण*

☐ वर्तमान/स्थायी/विदेश के पते का विवरण के समान

पते का प्रकार

आवासीय या व्यवसाय

☐

आवासीय

☐

व्यवसाय

☐

पंजीकृत कार्यालय

☐

गैर-सूचित

लाइन 1*:

लाइन 2*:

लाइन 3*:

जिला :

शहर/नगर का नाम:

देश का नाम :

राज्य/राज्यक्षेत्र का नाम:

पिन/पोस्ट कोड

संपर्क विवरण (यदि मोबाइल/ईमेल से संपर्क करना है तो निम्नलिखित मोबाइल/ईमेल पर संपर्क करें):

टेलीफोन (कार्यालय):

टेलीफोन (आवास):

मोबाइल नं.:

फैक्स :

ईमेल/आईडी :

आवेदक द्वारा घोषणा

- मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि ऊपर दिया गया विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है और यदि इसमें कोई परिवर्तन होता है तो मैं/हम तत्काल आपको सूचित करूंगा/करूंगी/करेंगे। यदि कोई भी सूचना भ्रामक या गलत ढंग से प्रस्तुत पाई जाती है तो मुझे/हमें पता है कि मैं/हम इसके लिए जिम्मेदार हूँ/होगे।
- मेरा/हमारा वैयक्तिक केवाईसी विवरण केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री के साथ शेयर किया जा सकता है।
- मैं/हम इससे सहमत हूँ/हैं कि केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री द्वारा ऊपर पंजीकृत नंबर/ईमेल पते पर मुझे/हमें सूचित किया जा सकता है।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर

संस्था के प्राधिकृत व्यक्ति का नाम

सत्यापन / केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए

प्राप्त दस्तावेज़

☐

स्व प्रमाणित

☐

सत्य प्रति

☐

नोटरी

जोखिम श्रेणी

☐

उच्च

☐

मध्यम

☐

कम

पहचान के सत्यापन द्वारा व्यक्तिगत सत्यापन किया गया

☐

किया गया

दिनांक

कर्मचारी/पदधारी हस्ताक्षर

कर्मचारी/पदधारी का नाम

भविष्य लिपि त्रुटि/त्रुटि

कर्मचारी/पदधारी का पदनाम :

कर्मचारी/पदधारी का शाखा :

(कंपनी (स्टॉक एक्सचेंज पर अभिलेखित कंपनी या एसी कंपनी की अनुसूची के मामले को छोड़कर), भागीदारी फर्म, अनिगमित एसोसिएशन या व्यक्ति निकाय तथा न्यास के लिए लागू)

1. ग्राहक का नाम : _____
(कंपनी, भागीदारी फर्म, अनिगमित एसोसिएशन या व्यक्ति निकाय तथा न्यास)
2. पंजीकृत नंबर : _____
(यदि उपलब्ध है तो)
3. पंजीकृत पता : _____

उपयुक्त ग्राहक द्वारा पुष्टि और घोषणा करने की तारीख

--	--	--	--	--	--

लिखित/लिखित वास्तविक व्यक्ति (व्यक्तियों) (लिखित/लिखित वास्तविक में सूचीबद्ध) नियंत्रण करता है/करते हैं या अलग-अलग नियंत्रणकर्ता स्वामित्व हित है अर्थात् पूंजी/लाभ/संपत्ति के 25% से अधिक (कंपनी) / 15% से अधिक (भागीदारी फर्म, व्यक्तियों के अनिगमित एसोसिएशन) / 15% के बराबर या उससे अधिक का स्वामित्व/हकदारी हो या मताधिकार/करार व्यवस्था आदि द्वारा नियंत्रण है।

क्र. सं.	लाभार्थी मालिक/नियंत्रणकर्ता वास्तविक व्यक्ति (व्यक्तियों) का पूरा नाम	जन्म तिथि	राष्ट्रियता	पता	केवाईसी दस्तावेजों का प्रकार	नियंत्रक स्वामित्व हित %

हम प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त कथन सच एवं सही हैं। हम कथन देते हैं कि उपर्युक्त टेबल में कि गई घोषणा के अनुसार जब भी कंपनी, भागीदारी फर्म, अनिगमित एसोसिएशन या व्यक्तियों का निकाय तथा न्यास के नियंत्रणकर्ता व्यक्ति या नियंत्रणकर्ता स्वामित्व हित रखनेवाले व्यक्तियों में परिवर्तन होगा हम बिना किसी विलंब के बैंक ऑफ इंडिया को सूचित करेंगे।

कृते एवं की तरफ से (कंपनी, भागीदारी फर्म, अनिगमित एसोसिएशन या व्यक्ति निकाय तथा न्यास का नाम) :

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर* : हम वचन देते हैं कि जब भी उपर्युक्त टेबल दी गई _____

प्राधिकृत अधिकारी का पूरा नाम : _____

पदनाम/पद : _____

(प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/ट्रस्ट के मामले में, घोषणा पत्र कंपनी/ट्रस्ट के वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा प्राधिकृत होना चाहिए)

दिनांक :

स्थान :

--

(घोषणा पत्र पर भागीदारी फर्म के मामले में सक्रिय/पदनामित भागीदारी द्वारा, न्यास के मामले में ट्रस्टी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए)

वैधानिक लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर एवं मोहर

केवल शाखा के उपयोग के लिए

हम प्रमाणित करते हैं कि उक्त फर्म के लाभार्थी मालिक का अभिनिरचय उपर्युक्त कंपनी/फर्म/न्यास द्वारा की गई घोषणा के आधार पर किया गया है तथा उपर्युक्त विवरणों को जहां कहीं उपलब्ध है, पब्लिक डोमेन से सत्यापित किया गया है।

(शाखा प्रबंधक/शाखा परिचालन प्रमुख का हस्ताक्षर)

नाम : _____

जगजा हस्ताक्षर एवं पी एफ नंबर : _____

दिनांक : _____

ज. विश्वीय गैर – वितीय संस्था : इससे आशय इनसे है – - कोई भी ऐसी गैर – वितीय संस्था जो सक्रिय गैर – वितीय संस्था नहीं है, या - कोई भी ऐसी निवेश संस्था जिसकी कुल आय मुख्य रूप से वितीय आस्तियों से निवेश, पुनर्निवेश अथवा व्यापार से आती हो, यदि इस संस्था का प्रबंधिकनी अन्य संस्था द्वारा किया जाता है, जो कि निरोपगार संस्था, अभिरक्षा संस्था, निविर्दिष्ट योगा कंपनी अथवा नीचे के मोट में उल्लिखित निवेश संस्था हो। - जो निवेशोर्लिङ्ग फॉरेन प्राइवेटिजि अथवा निवेशोर्लिङ्ग फॉरेन ट्रस्ट न हो। (निवेशोर्लिङ्ग फॉरेन प्राइवेटिजि का आशय ऐसी विविधी भागीदारी से है, जिसने संयुक्त राज्य अमरीका के साथ निवेशोर्लिङ्ग करार दिया है, जिसमें अपने भागीदारों, साधारणों अथवा मालिकों को सभी प्रयुक्त करने हेतु प्राथमिक निवेशोर्लिङ्ग निष्पक्षदारी देने के लिए वह सहमत हो।) ध्यान दें - कोई भी ऐसी संस्था जो व्यवसाय के तौर पर मुख्य रूप से निम्नलिखित गतिविधियों अथवा परिचालनों में से कोई एक या अधिक गतिविधि अथवा परिचालन ग्राहक के लिए अथवा उसकी ओर से करती है, या - मुद्रा बाजार निष्ठता (बैक,बिल, अना एमपणप, व्युत्पन्न आदि); विदेशी मुद्रा, विनिमय, व्याज दर एवं प्रयुक्त निष्ठता; अंतर्णीय प्रतिभूतियों अथवा पण्य मावी सौदों का व्यापार करती है : या - वैयक्तिक एवं सामूहिक संविभाग प्रबंधन; अथवा - अन्य व्यक्तियों की ओर से अन्य निवेश, एडमिनिस्ट्रिय अथवा वितीय आस्तियों अथवा मुद्रा का प्रबंधन।	स्पष्टीकरण १ : इनमें १ से नवार्ह गतिविधियों में से एक अथवा एक से अधिक गतिविधियां करने अथवा निवेश संस्था अर्थात निष्क्रिय संस्था के प्रयोजनों से किसी संस्था की कुल आय प्रत्यक्ष या वितीय आस्तियों से निवेश, पुनर्निवेश अथवा व्यापार से आने, यदि संस्था की कुल आय (i) निधारेण किए जाने के पूर्व वर्ष के ३१ मार्च को समाप्त तीन वर्ष की अवधि अथवा (ii) संस्था के अस्तित्व में होने की अवधि के दौरान की कुल आय के ५०% के बराबर अथवा उसमें अधिक होने पर किसी संस्था को व्यवसाय करने वाली संस्था माना जाएगा। स्पष्टीकरण २ : "निवेश संस्था" शब्द में सक्रिय गैर- वितीय संस्था शामिल नहीं है, क्योंकि वह नियम ११४ ब के खंड (५) के स्पष्टीकरण के खंड (क) के उप-खंड (iv), (v), (vi) अथवा (vii) के किसी मामले में पूरा करती है। (१) लाभांश; (२) व्याज; (३) व्याज के बराबर की आय; (४) किराया एवं रॉयल्टी (गैर-वितीय संस्था के कर्पचारियों द्वारा सक्रिय रूप से किए गए व्यवसाय से कम से कम आंशिक रूप में प्राप्त किराया एवं रॉयल्टी से भिन्न); (५) वार्षिक (६) विदेशी आस्तियों की किसी अथवा विनिमय की क्षमताओं की तुलना में अतिरिक्त लाभ जिससे पैसिव आय बनती है, (७) किसी भी वितीय आस्तियों के संयोजन (एक्चुरस, फोर्वरडस, ओप्शन्स एवं इरी प्रवर के संयोजन) से होने पर लाभ का अधिनियम (८) विदेशी मुद्रा हानियों की तुलना में किसी मुद्रा के अतिरिक्त लाभ (९) अवन – बसती में प्राप्त निम्न आय अथवा (१०) सकल मुद्रा के बीमा लेकों में प्राप्त राशिओं, पैसिव इनकम में शामिल है। बसती में निवेशी के रूप में निवेशित रूप से कार्य करने वाली शैर वितीय संस्था के मामले में दीवार के तहत के रूप में ऐसे व्यापार की सामान्य अवधि में किए गए किसी भी नेवने से प्राप्त आय पैसिव आय से शामिल नहीं होती। संबंध संस्था अन्य किसी संस्था की संबद्ध संस्था होती है, यदि वह अन्य संस्था का नियंत्रण करती है अथवा दोनों संस्थाएं एक ही नियंत्रण में आती हैं। स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजन हेतु नियंत्रण में किसी संस्था के ५०% से भी अधिक मत और मूल्य का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व का नियंत्रण भी शामिल है।
ख. परिचय एलएफई निवेशोर्लिङ्ग में से कोई एक है - पिछले वितीय वर्ष में इकाई की सकल आय पचास प्रतिशत से कम होने पर वह पैसिव आय है और इकाई के द्वारा पिछले वितीय वर्ष में पचास प्रतिशत से कम आस्तियों के धारिता की स्थिति में इकाई को पैसिव आय उत्पन्न करने वाला माना जाएगा, या - इकाई के स्टॉक निवेश रूप में स्थापित निवेशोर्लिङ्ग बाइडे में बरीद-बिक्री किए जाने हो या गैर-वितीय इकाई उस इकाई से संबंधित हो जिसके स्टॉक निवेशित रूप में स्थापित निवेशोर्लिङ्ग बाइडे में बरीद-बिक्री किए जाते हो। - इकाई सारकारी इकाई है या अंतराष्ट्रीय संस्था है या केन्द्रीय बैंक या पूर्ववर्ती के द्वारा एक या एक से अधिक पूर्णतः स्थापित वाली इकाई - वस्तुतः इकाई की गतिविधियां जिसमें अथवा स्टॉक रखना (पूर्णतः या अंशतः) या वितीय सेवा प्रदान करने के व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय में संलग्न सहयोगी कंपनियों को वितीय सहायता शामिल है बशर्ते की इकाई के विपणन में वह प्रमाणित नहीं होना चाहिए कि वह निवेश निधि के रूप में कार्य करती है, जैसे प्राइवेट इन्फिटे फंड, बैचर कैपिटल फंड, लेवेर बाय फंड आदि फंड या अन्य कोई निवेश संस्था जिसका उद्देश्य कंपनी का फंड करना और पूंजी निवेश के उद्योग से उसका अधिग्रहण करना हो, या - इकाई अपनी व्यवसाय नहीं कर रही है और इसके परिचालन का कोई इतिहास भी नहीं है किन्तु आगिकों में इस उद्देश्य में पूंजी निवेश कर रही है कि वितीय कंपनी के अतिरिक्त अन्य कंपनी का परिचालन कर सके बशर्ते की कंपनी गठन के चौबीस महीनों के बाद इस अवप्राद के अंतर्गत न हो या - इकाई पिछले चौबीस वर्षों में वितीय इकाई न हो और अपनी आस्तियों को लिक्विडेट करने की प्रक्रिया में हो या पुनर्गठन कर रहा हो याकि किसी संस्था में इस व्यवसाय जारी रख सके या - इकाई प्राथमिक रूप से ऐसे संस्थान के लिए वितीय या हेजिंग ट्रांजेक्शन या संबंधित इकाईयों के लिए जो वितीय संस्थाएं नहीं हैं और किसी भी इकाई के लिए वितीय या हेजिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं कराता है बशर्ते कि इकाई प्राथमिक रूप से वितीय सेवाओं से उत्तर व्यवसाय में संबंधित हो, या - इकाई निम्नलिखित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, जिनके नाम हैं - यह प्राथमिक, सेंट्रलैड, बैलान्स, कलासल, सामूहिक, पैन – इंद या निष्पक्ष में संबंधित उद्योगों में भारत में स्थापित और परिचालित इकाई हो या वह घोषितसन् संस्थान, निजनेम सीम, बैचर ऑफ कर्बम, धर्म संगठन, मुद्रा या साधारणी स्थापन, निम्निक नीति या केवल सामाजिक कल्याण के कार्य में संलग्न भारत में स्थापित और परिचालित संस्था हो - नई भारत में आयकर से छूट प्राप्त हो - इकाई कोई ऐसा सेवाप्रदाता या सर्वस्व न हो जिसका इससे प्रोफाइटरी या आस्तियों की आय से स्वी हो - इकाई के देश का निवेश स्थान के क्षेत्र में लागू कानून या इकाई के गठन के दस्तावेज इकाई की किसी भी आय या किसी व्यक्ति का गैर –कल्याणकारी को लाभ, जो इकाई के कल्याणकारी कार्य में उत्तर हो या ही मई सेवाओं के बरते उचित क्षतिपूर्ति के मुआवजा स्वरूप या संपत्ति के उचित वाइजर रूप के मुआवजा के रूप में, जिसे इकाई ने खरीदा हो, की अनुमति न देता हो। - इकाई के देश या निवास के क्षेत्र के लागू कानून या इकाई के गठन के दस्तावेज वह घोषणा करता हो कि संस्था निजिनाडेसन या डिमोन्स्ट्रेशन का अभावकारी संस्था या अभावकारी संस्था या सरकार के स्थापित वाली इकाई के क्षेत्राधिकार या किसी राजनीतिक इकाई को दी जाएगी स्पष्टीकरण – उप धारा के लिए निम्नलिखित को संबंधित उप – धारा के पानदंडो को पूरा करने वाला माना जाए। - धारा (23 ईए) में उल्लिखित निवेशक संरक्षक फंड - लाघु उद्योगों के बरिद मारदी फंड ट्रस्ट के लिए उल्लिखित धारा 23 ईबी और - अधिनियम कि धारा 10 के उप धारा (23 ईसी) के अंतर्गत निवेशक संरक्षक फंड	ज. संयुक्त राज्य अमेरिका का व्तिर इन्कोरो को कोई भी हो सकता है - संयुक्त राज्य का नागरिक अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका का कर निवासी अथवा - साधारणी या व्यापारिक संघ जो संयुक्त राज्य अमेरिका में संयोजित है या संयुक्त राज्य या उसके किसी भी राज्य के कानून के तहत संयोजित किया जाता है, या - ट्रस्ट (१) जहां संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर एक अदालत को लागू कानून के तहत अधिकार होगा की वह ट्रस्ट दे प्रासन से संबंधित सभी मुद्दों या आदेशों के बारे में पर्याप्त निर्णय दे या (२) एक या अधिक संयुक्त राज्य के व्यक्ति के पास ट्रस्ट के सभी पर्याप्त निर्णों को नियंत्रित करने का अधिकार है, या - भूतक की संपत्ति, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक नागरिक या निवासी है
द. संयुक्त राज्य का निरिद व्तिर – संयुक्त राज्य अमेरिका का व्तिर जो निम्न के अंतर्गत है - ऐसे व्यापार संघ का स्टॉक जिसका कारोबार नियमित रूप से एक या अधिक स्थापित प्रतिभूति बाजारों में किया जाता है - कोई भी व्यापार संघ जो एक ही वित्तारित संबद्ध मुद्रा का समूह है, - संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी पूर्ण स्वायत्त प्रांत एजेंसी का उद्योग साधन - संयुक्त राज्य अमेरिका का कोई भी राज्य, कोई भी संयुक्त राज्य क्षेत्र, किसी भी पूर्ववर्ती के किसी भी राजमिति उपविभाजन, या किसी पूर्ण स्वायत्त वाली एजेंसी या पूर्ववर्ती के किसी एक या अधिक साधन - कोई भी संगठन जो संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्गत राज्य संविदा की धारा ५०१ (ए) या बर्तीमत सेवाविकृती योजना के तहत छूट देता है, जैसा की संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्गत राज्यस कोड की धारा 7701 (ए) (३७) के परिभाषित किया गया है। - किसी भी बैंक को जिस संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्गत राज्य संविदा की धारा ५८१ से परिभाषित किया गया है। - संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्गत राज्यस संविदा की धारा ५५५ में परिभाषित कोई भी ट्रस्ट - कोई भी ट्रस्ट या संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्गत कोड की धारा ६५८ (सी) के लागू कर से मुक्त है या जो की संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्गत राज्यस कोड की धारा ५५५ (क) (१) में वर्णित है। - प्रतिभूतियों, कर्मोर्लिङ्ग या निवेशोर्लिङ्ग वितीय साधन, निम्नलिखित प्रकार, बयदा, फोर्वरडस एवं ओप्शन्स का बीचर जो संयुक्त राज्य या किसी अन्य राज्य के कानूनों के तहत पंजीकृत है। - कोई जोकर देता की संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्गत कोड की धारा ५५५ (सी) में परिभाषित किया गया है। - किसी भी कर्मक ट्रस्ट के जिसे योजना के तहत छूट दी गई है जो की संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्गत राज्यस कोड की धारा ५०३ (बी) या धारा ६३७ (डी) में वर्णित है।	ध.

देश (कंटी) कोड (आईएसओ 3166)

देश	देश कोड	ऑफिशियल रिपब्लिक	डीओ	लीबिया	एलवाई	सेंट लूसिया	एलसी
अफगानिस्तान	एएफ	इक्वाडोर	ईसी	लिचटेन्स्टेन	एलआई	सेंट मार्टिन (फ्रेंच पार्ट)	एमएफ
अलंड आइसलैंड	एएक्स	इजिप्ट	ईजी	लिचुआनिया	एलटी	सेंट पियरे एंड मिकलन	पीएम
अल्बानिया	एएल	ईआई साल्वाडोर	एसवी	लक्जमबर्ग	एलयू	सेंट विन्सेंट एंड द ग्रेनेडाईस	वीसी
अल्जीरिया	डीजेड	इक्वेटोरियल गयाना	जीक्यू	मकाऊ	एमओ	सामोआ	डब्ल्यूएस
अमेरिकन समोआ	एएस	एस्टोनिया	ईआर	मैसेडोनिया, द फॉर्मर युगोस्लाव	एमके	सैन मैरीनो	एसएम
एंडोरा	एडी	एस्टोनिया	ईई	रिपब्लिक ऑफ	एमके	साओ टॉम एंड प्रिंसिप	एसटी
अंगोला	एओ	इथोपिया	ईटी	मोनाको	एमजी	सउदी अरब	एसए
अंगुला	एआई	फॉर्कलैंड्स आइसलैंड्स (मालविनास)	एफके	मालावी	एमडब्ल्यू	सेनेगल	एसएन
अंटार्कटिका	एक्यू	फरो आइसलैंड्स	एफओ	मलेशिया	एमवाई	सर्विया	आरएस
एंटीगुआ एंड बरबुडा	एजी	फिजी	एफजे	मालदीव्स	एमवी	सेशेल्स	एससी
अर्जेंटीना	एआर	फिनलैंड	एफआई	माली	एमएल	सियरा लियोन	एसएल
अर्मेनिया	एएम	फ्रांस	एफआर	माल्टा	एमटी	सिंगापुर	एसजी
अरुबा	एडब्ल्यू	फ्रेंच गुयाना	जीएफ	मार्शल आइसलैंड्स	एमएच	सिंट मार्टिन (डच पार्ट)	एसएक्स
ऑस्ट्रेलिया	एयू	फ्रेंच पोलोनेशिया	पीएफ	मार्टिनिक	एमक्यू	स्लोवाकिया	एसके
आस्ट्रिया	एटी	फ्रेंच सदर्न टेरीटोरीज	टीएफ	मॉरीटानिया	एमआर	स्लोवेनिया	एसआई
अजेरबैजान	एजेड	गैबॉन	जीए	मॉरीशस	एमयू	सोलोमन आइलैंड्स	एसबी
बहामास	बीएस	गाम्बिया	जीएम	मैयोट	वाईटी	सोमालिया	एसओ
बाहरी	बीएच	जॉर्जिया	जीई	मेक्सिको	एमएक्स	साउथ अफ्रीका	जेडए
बंगलादेश	बीडी	जर्मनी	डीई	माइक्रोनेशिया फेडरटेड स्टेट्स ऑफ	एफ एम	साउथ जॉर्जिया एंड द साउथ	जीएस
बरबादोस	बीबी	घाना	जीघ	मोलडोवा, रिपब्लिक ऑफ	एमडी	सैंडविच आइलैंड्स	एसएस
बेलाइस	बीवाई	जिब्राल्टार	जीआई	मोनेको	एमसी	साउथ सुडान	एसएस
बेलिजम	बीई	ग्रीस	जीआर	मंगोलिया	एमएन	स्वेन	ईएस
बेलीज	बीजेड	ग्रीनलैंड	जीएल	मोन्टेनेग्रो	एमई	श्रीलंका	एसके
बेनिन	बीने	ग्रेनेडा	जीडी	मोन्टेसेरट	एमएस	सुडान	एसडी
बरमुडा	बीएम	गुआटेमाला	जीपी	मोरक्को	एमए	सुरिनाम	एसआर
भूटान	बीटी	ग्वायामा	जीयू	मोजाम्बिक	एमजेड	सवलबाड एंड जन मेयन	एसजे
बोसीनिया, हर्जेगोविना स्टेट ऑफ	बीओ	ग्वाटेमाला	जीटी	म्यानमार	एमएम	स्वाजीलैंड	एसजेड
बोनायर सिंट इस्ट्रुअस एंड साबा	बीक्यू	गर्नसे	जीजी	नामीबिया	एनए	स्वीडेन	एसई
बोस्निया एंड हर्जेगोविना	बीए	गुएनिवा	जीएन	नौरू	एनआर	स्विट्जरलैंड	सीएच
बोत्सवाना	बीडब्ल्यू	गैनीया-बिसाऊ	बीडब्ल्यू	नेपाल	एनपी	सीरियन अरब रिपब्लिक	एसवाई
बौवेट आइसलैंड्स	बीवी	गुयाना	जीवाई	नीदरलैंड्स	एनएल	ताइवान, प्रॉविन्स ऑफ चाइना	टीडब्ल्यू
ब्राजील	बीआर	हाईती	एचटी	न्यू कैलीडोनिया	एनसी	तजाकिस्तान	टीजे
ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरीटरी	आईओ	हाईआइसलैंड एंड गैकडोर्नलैंड आइलैंड	एचएम	न्यूजीलैंड	एनजेड	तंजानिया, युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ	टीजेड
ब्रुनेल दारुसलाम	बीएन	होलो सी (वेटिकन सिटी स्टेट)	वीए	निकागुआ	एन आई	थाइलैंड	टीएच
बुल्गारिया	बीजी	होलंडुरस	एचएन	निगेर	एनई	टीमोर-लेस्ते	टीएल
बुर्किना फासो	बीएफ	हंगरी	एचयू	नाइजीरिया	एनजी	टोगो	टीजी
बुरुंडी	बीआई	हंगरी	एचयू	नियुड	एनई	टोकेलाऊ	टीके
काबो वर्डे	सीवी	आइसलैंड	आईएस	नॉरफोल्क	एनएफ	टोंगा	टीओ
कम्बोडिया	केएच	इंडिया	आईएन	आइलैंड	आई	त्रिनिदाद एंड टोबैगो	टीटी
कैमरून	सीएम	इंडोनेशिया	आईडी	नॉर्थ मैरियाना आइलैंड्स	एमपी	ट्यूनीशिया	टीएन
कनाडा	सीए	ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ	आईआर	नॉर्वे	एनओ	टर्की	टीआर
कैमन आइसलैंड्स	केवाई	इराक	आईक्यू	ओमान	ओएम	तुर्कमेनिस्तान	टीएम
सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक	सीएफ	आयरलैंड	आईई	पाकिस्तान	पीके	तुवर्स एंड कालकोसा आइलैंड्स	टीसी
चाड	टीडी	आइल ऑफ मैन	आईएम	पलाऊ	पीडब्ल्यू	टुवालू	टीवी
चिली	सीएल	इसरायल	आईएल	फिलिस्तीन, स्टेट ऑफ	पीएस	युगान्डा	यूजी
चीन	सीएन	इटली	आईटी	पनामा	पीए	युक्रेन	यूए
क्रिसमस आइसलैंड्स	सीएक्स	जमाइका	जेएम	एपुआ न्यू गुयाना	पीजी	युनाइटेड अरब अमीरात	ईई
कोकोस (कीलिंग) आइलैंड्स	सीसी	जापान	जेपी	ग्राव	पीवाई	युनाइटेड किंगडम	जीबी
कोलंबिया	सीओ	जर्सी	जेई	पेरू	पीई	युनाइटेड स्टेट्स	यूएस
कोमोरोस	केएम	जॉर्डन	जेओ	फिलीपींस	पीएच	आउटलाइंग आइलैंड्स	यूएएम
कांगो	सीजी	कजाकिस्तान	केजेड	फिटकेयर्न	पीएन	उरुग्वे	यूवाई
कांगो, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द	सीडी	केन्या	केई	पोलैंड	पीएल	उजबेकिस्तान	यूजेड
कुवत आइसलैंड्स	सीके	किरिबाटी	केआई	पुर्तगाल	पीटी	वनुआतू	वीयू
कोस्टा रिका	सीआर	कोरिया, डेमोक्रेटिक पीपल्स	केपी	पिबोरोटो रिको	पीआर	वनेजुएला, बोलीव्हेरियन	वीए
कोटडिव्वायर/कोटडिव्वायर	सीआई	रिपब्लिक ऑफ	केपी	कतर	क्यूए	रिपब्लिक ऑफ	वीई
क्रोएशिया	एचआर	कोरिया, रिपब्लिक ऑफ	केआर	रीयूनियन ! रीयूनियन	आई	विएत नाम	वीएन
क्यूबा	सीयू	कुवैत	केडब्ल्यू	रोमानिया	आरओ	विरजिन आइलैंड्स, ब्रिटिश	वीजी
कुराकाओ	सीडब्ल्यू	किरगिस्तान	केजी	रशियन फेडरेशन	आरयू	विरजिन आइलैंड्स, यू.एस.	वीआई
साइप्रस	सीआई	लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक	एलए	रवांडा	आरडब्ल्यू	वालिस एंड फुटुना	डब्ल्यूएफ
चेक रिपब्लिक	सीजेड	लाताविया	एलवी	सेंट बारथेलेमी सेंट थामसलेमी	बीएल	वेस्टर्न सहारा	ईएच
डेनमार्क	डीके	लेबनान	एलबी	सेंट हेलेना, एसीशियन	एसएच	यमन	वाईई
जिबूती	डीजे	लेसोथो	एलएस	एंड ट्रिस्टान डा कुनहा	एसएच	ज़ाम्बिया	जेडएम
डोमिनिका	डीएम	लिबेरिया	एलआर	सेंट किट्स एंड नेविस	केएन	ज़िम्बाबवे	जेडडब्ल्यू

स्टेट कोड

भारतीय पोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार दो अक्षरों वाले राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों की सूची

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रदेशकोड	हरियाणा	एचआर	ओडिशा	ओआर
अंडमान व निकोबार	एएन	हिमाचल प्रदेश	एचपी	पाण्डिचेरी	पीवाई
आंध्रप्रदेश	एपी	जम्मू व कश्मीर	जेके	पंजाब	पीबी
अरुणाचल प्रदेश	एआर	झारखंड	जेच	राजस्थान	आरजे
असम	एसएस	कर्नाटक	केए	सिक्किम	एसके
बिहार	बीआर	केरल	केएल	तमिलनाडु	टीएन
संडीगढ़	सीएच	लक्षदीप	एलडी	तेलंगाना	टीएस
छत्तीसगढ़	सीजी	मध्य प्रदेश	एमपी	त्रिपुरा	टीआर
दादर व नगर हवेली	डीएन	महाराष्ट्र	एमएच	उत्तर प्रदेश	यूपी
दमन व दीव	डीडी	मणिपुर	एमएम	उत्तराखंड	यूए
दिल्ली	डीएल	मेघालय	एमएल	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबी
गोवा	जीए	मिजोरम	एमजेड	अन्य	XX
गुजरात	जीजे	नागालैंड	एनएल		

क्र.	संस्था का प्रकार	केवाईसी दस्तावेज
1.		क. अधिकारित रूप से वैध दस्तावेजों (ओवीडी) में से एक दस्तावेज रजि प्रमाणित प्रति जिसमें पदनाम तथा पते का विवरण शामिल हो; ख. हाल की तस्वीर; ग. स्थाई आता संख्या (पैन) या आयकर निसम, 1962 में सथा परिभाषित फार्म 60; तथा व्यवसाय की प्रकृति या वित्तीय स्थिति के समर्थन में बैंक को स्वीकार्य कोई दस्तावेज
2.	मासिकाना फर्म	क. मासिकाना फर्म, प्राधिकृत दस्ताक्षरी या मुख्तारनामा धारक से अनुच्छेद १ में सूचीबद्ध दस्तावेज; ख. बैंक के प्रारूप में मासिकाना पत्र; ग. मासिकाना फर्म के नाम पर व्यवसाय/निविदि/रि के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में कोई दो – i.पंजीकरण प्रमाणपत्र ii.दुकांन एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा जारी सर्टिफिकेट/लाइसेंस iii.बिडो एवं आयकर विवरणी iv.सीएसटी/वीएटी/जीएसटी सर्टिफिकेट (अनुमानित/फाइनेल) v.बिडो कर/रवा कर/पेशेवर कर प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/पंजीकरण दस्तावेज vi.जीसीएसटी के कार्यालय द्वारा मासिकाना फर्म को जारी आईडरी (निर्यातक अथवा क्रेड) या विधि के अंतर्गत स्थापित किसी पेशेवर इकाई द्वारा मासिकाना फर्म के नाम पर जारी व्यवहार करने का लाइसेंस/सर्टिफिकेट vii.एक मासिक के नाम पर सम्पूर्ण आयकर विवरणी (रोयल पावती नदी) जहाँ फर्म की आय दिखाई देती है जिसे कि आयकर प्राधिकारियों के द्वारा विरचित रूप से प्रमाणित किया गया हो। viii.बिजली, पानी, लैंडलाइन टेलीफोन बिल इत्यादि यूटिलिटी बिल (व्यवसाय स्थल का जहा व्यवसाय किया जा रहा है) ix.विधि के अंतर्गत संगठित किसी भी पेशेवर संगठन के द्वारा प्राधिकृत संस्था के नाम पर जारी लाइसेंस/व्यवहार करने का सर्टिफिकेट (तथा भारतीय लेखाकार संस्था द्वारा जारी व्यवहार कर सर्टिफिकेट, भारतीय काउंट एकाउंट संस्था, भारतीय कम्पनी सचिव संस्था इत्यादि)
3.	साझेदारी फर्म	क. प्रत्येक भागीदार या लाभकारी मासिक, प्राधिकृत दस्ताक्षरी या मुख्तारनामा धारक से अनुच्छेद १ में सूचीबद्ध दस्तावेज जैसा कि नीचे पृष्ठ संख्या १७ पर परिभाषित किया गया है ख. पंजीकरण प्रमाणपत्र ग. साझेदारी विलेख घ. साझेदारी फर्म का पैन ङ. सभी लाभकारी भागीदारों का नाम शामिल करती हुई घोषणा जिसमें फर्म में उनका शेर/निर्वाचक हित/शेयरधारिता हो एवं प्राधिकृत दस्ताक्षरियों द्वारा विरचित दस्ताक्षरित हो। (अनुलग्नक IV) च. सभी भागीदारों द्वारा दस्ताक्षरित भागीदारी पत्र छ. फर्म के भागीदारों या फर्मकारी को फर्म की ओर से संबंधित करने के लिए पीओए की स्वीकृति
4.	लिमिटेड कम्पनी	क. प्रत्येक व्यक्ति अर्थात् अध्यक्ष, निदेशक, सचिव, बड़े शेयरधारकों आदि या सभी संबंधित व्यक्तियों या नीचे पृष्ठ 17 में निर्धारित दितकारी स्थानियों और प्राधिकृत दस्ताक्षरी या मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटर्नी) से पैस 1 में सूचीबद्ध दस्तावेज; ख. निम्नलिखित (इयोरगिजेशन) का प्रमाणपत्र (सत्यापन एवं रिकॉर्ड हेतु) प्राधिकृत दस्ताक्षरी द्वारा विरचित दस्ताक्षरित सत्यापित प्रति रखी जानी है; ग. संस्था के बहिनिलेख एवं संस्था के अंतर्निर्गत; घ. कम्पनी की स्थायी आता संख्या; ङ. बोर्ड के निदेशक मंडल का संकल्प तथा कम्पनी की ओर से उसके प्रबंधकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को संबंधित करने के लिए टी नई पावर ऑफ अटर्नी; च. संस्था द्वारा विरचित दस्ताक्षरित (अनुलग्नक IV) दितकारी स्थानी की शेयरधारिता की संरचना/दित निबंधन/स्टेक सदित उनके नामों की घोषणा; छ. घोषणा के प्रारंभ का प्रमाणपत्र (पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के मामले में); ज. संयुक्त पुंजी कर्मानियों के रजिस्ट्रार का प्रमाणपत्र, जिसमें यह उल्लेख हो कि कम्पनी कारोबार आरम्भ करने के लिए अधिकृत है (सत्यापन हेतु, पावर ऑफ अटर्नी रजिस्टर में प्रविष्टि)। इसकी एक प्रति रखनी है। इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, यदि, (क) कम्पनी प्राइवेट कम्पनी है, (ख) कम्पनी 1913 से पहले से पंजीकृत थी तथा आम जनता को शेयरों हेतु सब्सक्राइब करने के लिए आमंत्रित नहीं करती है, (ग) कम्पनी गारंटी द्वारा लिमिटेड है तथा उसके पास शेयर पुंजी नहीं है। झ. आता खोलने तथा उसके व्यवहार के बहिनिलेख के संबंध में बोर्ड संकल्प की सत्यापित प्रति, निम्नलिखित प्रारूप में प्राप्त करनी है – "हम यह सत्यापित करते हैं कि कम्पनी के निदेशक मंडल का निम्नलिखित संकल्प दिनांक को हुई बोर्ड की बैठक में पारित किया गया था तथा उक्त कम्पनी के कार्यालय में विरचित निर्देश किया गया है – पारित किया गया कि उक्त कम्पनी का बैंक खाता बैंक ऑफ इंडिया में खोला जाए तथा तदनुसार बैंक के द्वारा कम्पनी की ओर से कम्पनी के चेक, विनिमय पत्र (बिल ऑफ एक्सचेंज) या पवान पत्र (प्रॉमिसरी नोट) जारी करने, स्वीकृत करने या बनाने तथा खारे, चाहे वह अस्थादित (ओवरड्राफ्ट) हो या न हो, के संबंध में दिए गए किसी भी निर्देश पर या कम्पनी के संबंधित करने के संबंध में फाईवाई करने के लिए प्राधिकृत है।" दस्ताक्षर अध्यक्ष दस्ताक्षर निदेशक दस्ताक्षर सचिव
5.	सोसाइटी/ एग्रीगेशन/वलय	क. प्रत्येक व्यक्ति अर्थात् अध्यक्ष, निदेशक, सचिव, बड़े शेयरधारकों आदि या सभी संबंधित व्यक्तियों या नीचे पृष्ठ 17 में निर्धारित दितकारी स्थानियों और प्राधिकृत दस्ताक्षरी या मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटर्नी) से पैस 1 में सूचीबद्ध दस्तावेज; ख. पंजीकृत इकाई के मामले में, पंजीकरण प्रमाणपत्र ग. निकास का पैन/फॉर्म 60 घ. आता खोलने और खाले के परिचालनात्मक निर्देशों के संबंध में विधियों एवं उपविधियों और सोसायटी के संकल्प की प्रति। ङ. इसकी ओर से लेन-देन करने के लिए दिया गया मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटर्नी) च. घोषणा पत्र जिसमें प्राधिकृत दस्ताक्षरियों द्वारा विरचित दस्ताक्षरित शेयरधारिता प्रारूप/निबंधन/स्टेक सदित सभी दितकारी स्थानियों के नाम हों। (अनुलग्नक IV) छ. ऐसी सोसाइटी/संयोजन/वलय के कानूनी अस्तित्व को अमेकित रूप से स्थापित करने के लिए बैंक द्वारा मांगी गई जानकारी।
6.	हिन्दू अविभाज परिवार (एक्ज्यूएन)	क. मुख्य सदस्यिक और एक्ज्यूएन के कर्ता से प्राप्त पैस 1 में बताए गए दस्तावेज ख. संयुक्त हिन्दू परिवार पत्र प्राप्त किया जाए और उसे सभी वयस्क सदस्यिकों द्वारा दस्ताक्षरित किया जाए ग. एक्ज्यूएन का पैन घ. कर्ता द्वारा घोषणा पत्र ङ. किसी सदस्यिक की मृत्यु हो जाने पर, किसी सदस्यिक के जन्म से बहिन (18 वर्ष) होने पर नया संयुक्त हिन्दू परिवार पत्र देना होगा जिसमें घोषित किया गया हो कि जमाकर्ता संयुक्त परिवार का कर्ता है वी) जमा रजि संयुक्त हिन्दू परिवार की है।
7.	ट्रस्ट	क. प्रत्येक ट्रस्टी, निष्ठादायक, प्रशासक आदि या सभी संबंधित व्यक्तियों या नीचे पृष्ठ 17 में निर्धारित दितकारी स्थानियों और प्राधिकृत दस्ताक्षरी या मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटर्नी) से पैस 1 में सूचीबद्ध दस्तावेज; ख. पंजीकरण प्रमाणपत्र ग. न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) घ. ट्रस्ट का पैन या फॉर्म 60 ङ. घोषणा पत्र जिसमें प्राधिकृत दस्ताक्षरियों द्वारा विरचित दस्ताक्षरित शेयरधारिता प्रारूप/निबंधन/स्टेक सदित सभी लाभार्थी मासिकों के नाम हों। (अनुलग्नक IV) च. न्यास विलेख के प्रसन्निक अंश की प्रती प्राप्त की जाए और न्यासियों के चेक दस्ताक्षर करने के अधिकार, प्राधिकार के प्रत्ययोजन, धन उधार देना आदि को विशेष ध्यान में रखकर पुनरीक्षण किया जाय। प्रसन्निक अंश को मुख्तारनामा रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। छ. आता खोलने के लिए संकल्प की प्रति। ज. इसकी ओर से फायदा करने के लिए दिया गया मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटर्नी)

1. पासपोर्ट
2. ड्राफ्टिंग लाइसेंस
3. आधार संख्या के कब्जे का प्रमाण : जहाँ ग्राहक आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज़ के रूप में आधार संख्या के कब्जे का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, वह ऐसे आकार में उसे प्रस्तुत करें जैसा कि भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो
4. भारत की चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र
5. मन आर ई जी ए द्वारा जारी गाब कार्ड जो राज्य सरकार की किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो
6. राष्ट्रीय आबादी रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पते का विवरण हो (आधार और पैन अनिवार्य हैं और आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज़ों का भाग नहीं हैं)

- i) कोई भी सेवा प्रश्नता के उपभोक्ता बिल, जो दो महीने से ज्यादा पुराने न हो (बिजली, टेलीफोन, पोस्ट पैड मोबाइल फोन, पाइप गैस, पानी बिल)
- ii) संपत्ति या म्युनिसिपल कार रसीद
- iii) यदि उनसे पता है, तो पेंशन या परिवार पेंशन भुगतान आदेशों (पी पी) जो सरकार विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी किया गया हो
- iv) निर्योक्त से आवास आवंटन के पत्र जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार विभागों, वैधानिक या नियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों, सूचीबद्ध कंपनियों और आधिकारिक आवास आवंटन कनेक्वाले ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के सार्वजनिक अथवा लाइसेंस प्राप्त हैं।

(क) जहाँ पर ग्राहक कोई कंपनी है, लाभार्थी स्वामी वह वास्तविक व्यक्ति है, जो अकेला या मिलकर, या एक या एक से अधिक विधिक व्यक्ति है, जो अकेला या मिलकर, या एक या एक से अधिक विधिक व्यक्तियों द्वारा जिसका नियंत्रण स्वामित्व हित निहित है या जो अन्य माध्यमों के जरिए अपना नियंत्रण है।

- i) "निर्यवक स्वामित्व हित" का मतलब कंपनी के पन्वीस प्रतिशत से अधिक शेयर या पूंजी या लाभ के स्वामी या हकदार से है।
- ii) "निर्यवण" में अधिकांश निदेशकों की नियुक्ति करने का या प्रबंधन पर नियंत्रण करने का या नीतिगत निर्णयों के नियंत्रण का अधिकार शामिल है जो उनके शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकार या शेयरभारक करार या वोटिंग करार के बल पर प्राप्त है।

ग. यदि ग्राहक अनिर्गमित एसोसियेशन या व्यक्तियों का निकाय है, लाभार्थी मालिक वह वास्तविक व्यक्ति है, जो अकेले या मिली - जुली रूप में या एक या एक से अधिक विधिक व्यक्ति के जरिए, एसोसियेशन या व्यक्तियों की निकाय की संघर्ष या पूंजी या लाभ के 15 प्रतिशत के मालिक या हकदार है।

मूलिक निष्कर्ष में सोरोष्टरियन में शामिल हैं । जहाँ उपर्युक्त क, ख और ग के अनुसार सामाजिक व्यक्ति का पहचान नहीं किया जा सकता है बल्कि लाभार्थी मालिक का आशय उस संबंधित वास्तविक व्यक्ति से जो कि वित्तीय प्रबंधन की प्रवृत्ति पर कार्यरत है । अगर कोई निवेश श्रावक के तो लाभार्थी मालिक की पहचान के अंतर्गत नहीं प्रमुख, नगरी, लाभार्थीयों की पहचान ली जाएगी - तो ऐसे दृष्टी प्रमुख निष्कर्षों 15 प्रतिशत से अधिक के अनुसार अधिक का सहभागिता है, इसके अंतर्गत वास्तविक व्यक्ति होंगे निवेशण अथवा स्वास्थितिक के जरिये प्रपन्थी निवेशण रखते है ।

जहाँ निवेशण हेतु श्रावक या मालिक स्वयं एसाकरन के पर सूचीबद्ध कंपनी या उसकी सहभागी कंपनी है वैसे में किसी श्रेयधर्माका या लाभार्थी मालिक की पहचान की आवश्यकता नहीं होगी ।

..... यहां से काट दें.. (कृपया सनिश्चित करे कि काटते समय उपर्युक्त मशीन द्वारा पढ़े जाने कोड को क्षति न पहुँचे)

1. नाम : _____ दिनांक : _____

2. जमा किए गए दस्तावेज _____

(1) _____

(2) _____ (3) _____

(4) _____ (5) _____

साखा प्रबंधक

17



4.3 ADDRESS IN THE JURISDICTION WHERE ENTITY IS RESIDENT OUTSIDE INDIA FOR TAX PURPOSES*☐ SAME AS CURRENT / PERMANENT / OVERSEAS ADDRESS DETAILS☐ SAME AS CORRESPONDENCE / LOCAL ADDRESS DETAILSADDRESS TYPE*: ☐ RESIDENTIAL / BUSINESS☐ RESIDENTIAL☐ BUSINESS☐ REGISTERED OFFICE☐ UNSPECIFIEDPROOF OF ADDRESS (FOR ENTITIES REGISTERED OUTSIDE INDIA)*: ☐

REGISTRATION CERTIFICATE OR EQUIVALENT

☐ CERTIFICATE OF INCORPORATION/FORMATIONLINE 1*: LINE 2: LINE 3: CITY / TOWN / VILLAGE*: STATE*: ZIP / POST CODE*: COUNTRY CODE*:

(ISO 3166)

5. CONTACT DETAILS (All communications will be sent on provided Mobile no./ Email- ID) (Please refer Instruction 'F' at the end)TEL. (OFF): TEL. (RES): FAX: MOBILE 1: MOBILE 2: EMAIL ID 1: EMAIL ID 2: **6. NATURE OF BUSINESS**☐ MANUFACTURER☐ TRADER☐ RETAILER☐ SERVICE PROVIDER☐ EXPORT / IMPORT☐ REAL ESTATE☐ GEMS & JEWELLARY☐ EDU. INSTITUTION☐ HOTEL INDUSTRY☐ WINE DEALER☐ OTHERS: INDUSTRY CODE*:

(PLEASE REFER TO INDUSTRY CODES ON PAGE 7)

OTHERS:

ANNUAL TURNOVER

☐ 0-5 LAKH☐ 5-10 LAKH☐ 10-25 LAKH☐ 25 LAKH - 1CR.☐ 1-5 CR.☐ 5-50 CR.☐ 50-100 CR.☐ 100 CR <DEALING WITH BOI: SINCE (YEAR) AT

BRANCH.

NATURE OF ACCOUNT: CREDIT FACILITIES (BOI) (IF ANY) **7. TYPE OF ACCOUNT**☐ CURRENT ACCOUNT☐ SAVINGS BANK ACCOUNT☐ RECURRING DEPOSIT☐ TERM DEPOSIT☐ SPECIAL TERM DEPOSIT☐ OTHERPLEASE SPECIFY: **8. MODE OF OPERATIONS**☐ SINGLY☐ JOINTLY☐ SEVERALLY☐ AS PER BOARD RESOLUTION☐ OTHERS: (PLEASE SPECIFY) **9. SERVICES REQUIRED (Tick the required service (Charges may be applicable))**CORPORATE INTERNET BANKING: VIEWING RIGHTS ☐TRANSACTION RIGHTS ☐CHEQUE BOOK ☐DEBIT CARD ☐POS FACILITY (CARD SWIPING MACHINE) ☐SMS ALERTS ☐PLATINUM DEBIT CARD ☐OTHER STATEMENT FREQUENCY: MONTHLY ☐QUARTERLY ☐HALF-YEARLY ☐E-STATEMENT TO BE SENT TO EMAIL ID: SMS ALERTS TO BE SENT ON: MOBILE 1 ☐

OR

MOBILE 2 ☐

(PLEASE REFER TO THE MOBILE NUMBERS GIVEN IN CONTACT DETAILS IN AOF PART 1)

10. ACCOUNT VARIANTACCOUNT VARIANT NAME:

(PLEASE VISIT OUR WEBSITE OR VISIT NEAREST BRANCH)

11. UNDERTAKING: CREDIT FACILITY FROM OTHER BANK / FINANCIAL INSTITUTION☐ I/WE AM/ARE NOT AVAILING ANY CREDIT FACILITY(IES) / LOAN(S) FROM ANY OTHER BANK(S)/ FINANCIAL INSTITUTION (S) ORDATE ☐ I/WE AM/ ARE AVAILING CREDIT FACILITY(IES)/ LOAN(S) FROM OTHER BANKS/ FINANCIAL INSTITUTIONS AS DETAILED BELOW:

SR. NO.	NAME OF THE LENDING BANKS/FIS	BRANCH	ADDRESS OF THE BRANCH (WITH EMAIL AND PIN NUMBER)	ACCOUNT NUMBER	"FOR OFFICE USE" NOC RECEIVED
					YES ☐ NO ☐
					YES ☐ NO ☐
					YES ☐ NO ☐

Care: NOCs to be obtained from all the Lending Banks before opening of the Account.

OTHER ENTITY DETAILS:

DETERMINE* WHETHER THE ENTITY IS 'FI' OR 'NFE' (AN ENTITY CAN BE EITHER AN 'FI' OR 'NFE', IT CAN NOT BE BOTH)

☐ **FINANCIAL INSTITUTION (FI):** (IF FINANCIAL INSTITUTION (FI) IS TICKED, PLEASE ALSO FILL ANNEXURE I & ANNEXURE II FOR ALL THE RELATED PERSON) (BANKS, INSURANCE AGENCIES, NBFCs ETC.) **OR**

☐ **NON FINANCIAL ENTITY (NFE):** IF ENTITY IS NFE, WHETHER IT IS*: ☐ **ACTIVE NFE** OR ☐ **PASSIVE NFE**

(AN ENTITY CAN BE EITHER AN 'ACTIVE NFE' OR A 'PASSIVE NFE', IT CAN NOT BE BOTH - SEE INSTRUCTIONS 'H' IN GENERAL GUIDELINES FOR ACTIVE & PASSIVE NFE)

NUMBER OF CONTROLLING PERSON(S): (APPLICABLE ONLY IN CASE OF PASSIVE NFE, FILL ANNEXURE II FOR EACH CONTROLLING PERSON)

DIRECT REPORTING NON FINANCIAL FOREIGN ENTITY (NFFE): ☐ YES ☐ NO

IF YES PLEASE PROVIDE GIIN OF DIRECT REPORTING NFFE:

LEGAL ENTITY IDENTIFIER (L.E.I) CODE, NO.):
(AS & WHEN APPLICABLE)

COUNTRY OF RESIDENCE AS PER TAX LAWS *

TAX RESIDENT OF INDIA ONLY AND NOT OF ANY OTHER COUNTRY OUTSIDE INDIA YES ☐ NO ☐

(IF TICKED "YES" THEN THERE IS NO NEED TO FILL IN THE BOX BELOW)

FATCA & CRS BOX

TAX RESIDENT OF US: YES ☐ NO ☐ (IF YES, PLEASE PROVIDE US TIN) **USTIN:**

IF TAX RESIDENT OF US, WHETHER THE PERSON IS

A US PERSON YES ☐ NO ☐ (A TAX RESIDENT OF US IS US PERSON, SEE INSTRUCTION 'J')

A SPECIFIED US PERSON (SEE INSTRUCTIONS K) YES ☐ NO ☐ (IF SPECIFIED US PERSON IS YES, THEN THE ENTITY IS US REPORTABLE)

TAX RESIDENT OUTSIDE INDIA OTHER THAN US: YES ☐ NO ☐

IF YES, PLEASE PROVIDE COUNTRY CODE & TIN / FUNCTIONAL EQUIVALENT:

IF TAX RESIDENT OUTSIDE INDIA OTHER THAN US IS YES, WHETHER ENTITY FALLS IN ANY OF THE FOLLOWING CATEGORY (TICK FROM THE FOLLOWING CATEGORY AS APPLICABLE - IF NONE OF THE FOLLOWING CATEGORY IS MARKED "YES" THEN THE ACCOUNT IS AN "OTHER REPORTABLE ACCOUNT")

I. ANY CORPORATION THE STOCK OF WHICH IS REGULARLY TRADED ON ONE OR MORE ESTABLISHED SECURITIES MARKET YES ☐ NO ☐

II. ANY CORPORATION THAT IS A RELATED ENTITY OF A CORPORATION DESCRIBED IN (I) ABOVE YES ☐ NO ☐

III. A GOVERNMENTAL ENTITY YES ☐ NO ☐

IV. AN INTERNATIONAL ORGANIZATION YES ☐ NO ☐

V. A CENTRAL BANK YES ☐ NO ☐

VI. A FINANCIAL INSTITUTION YES ☐ NO ☐

NO RESIDENCE FOR TAX PURPOSE YES ☐ NO ☐

IF ANY OF THE ITEM (I) TO (VI) IS TICKED YES THE ACCOUNT IS NOT AN "OTHER REPORTABLE ACCOUNT"

IF ENTITY IS NEITHER A TAX RESIDENT OF INDIA OR US NOR A TAX RESIDENT OUTSIDE INDIA OTHER THAN US, THEN THE FIELD NO RESIDENCE FOR TAX PURPOSE WILL BE YES

IF YES PLEASE PROVIDE, COUNTRY CODE WHERE THE PRINCIPAL OFFICE OF THE ENTITY LOCATED COUNTRY CODE

MULTIPLE TAX RESIDENCY*: YES ☐ NO ☐ (IF YES, PLEASE FILL THE TABLE BELOW)

1. IF AN ENTITY IS A SPECIFIED US PERSON AND ALSO HAS A TAX RESIDENCY OUTSIDE INDIA OTHER THAN US, THE ENTITY HAS MULTIPLE TAX RESIDENCY.
2. IF IT IS NOT A SPECIFIED US PERSON BUT HAS TAX RESIDENCIES OUTSIDE INDIA OTHER THAN US IN MORE THAN ONE COUNTRY THE ENTITY, HAS MULTIPLE TAX RESIDENCY.

COUNTRY OF TAX RESIDENCE OUTSIDE INDIA OTHER THAN US	TAX IDENTIFICATION NUMBER OR EQUIVALENT, IF ISSUED BY JURISDICTION	IDENTIFICATION TYPE (TIN, COMPANY IDENTIFICATION NUMBER (CIN), EIN OR OTHER, PLEASE SPECIFY)
ADDRESS* LINE 1: LINE 2: LINE 3: CITY: STATE: PIN:		
COUNTRY OF TAX RESIDENCE OUTSIDE INDIA OTHER THAN US	TAX IDENTIFICATION NUMBER OR EQUIVALENT, IF ISSUED BY JURISDICTION	IDENTIFICATION TYPE (TIN, COMPANY IDENTIFICATION NUMBER (CIN), EIN OR OTHER, PLEASE SPECIFY)
ADDRESS* LINE 1: LINE 2: LINE 3: CITY: STATE: PIN:		

FORM 60 ONLY FOR ENTITIES OTHER THEN COMPANIES AND PARTNERSHIPS (In Case PAN Is not Available)

NAME:

(SAME AS ID PROOF)

IF APPLIED FOR PAN AND IT IS NOT YET GENERATED, ENTER DATE OF APPLICATION

 & THE ACKNOWLEDGEMENT NUMBER

IF PAN IS NOT APPLIED, FILL ESTIMATED TOTAL INCOME (INCLUDING INCOME OF SPOUSE, MINOR CHILD, ETC) AS PER SECTION 64 OF INCOME TAX ACT 1961 FOR THE FINANCIAL YEAR IN WHICH THE ABOVE TRANSACTION IS HELD

AGRICULTURE INCOME (RS)

 OTHER THAN AGRICULTURAL INCOME

VERIFICATION

I do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief. I further declare I do not have a permanent account number and my/our estimated total income (including income of spouse, minor child, etc.) as per section 64 of Income Tax Act 1961 computed in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961 for the financial year in which the above transaction is held will be less than maximum amount not chargeable to tax.

Verified today, the day of 20.....

Place:

Signature of the Declarant

NOMINATION : Applicable Only For Sole Proprietorship

☐ I/WE WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT **OR**

☐ I/WE DO NOT WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT

NOMINATION FORM (DA1)

Nomination under Section 45Z of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2(1) of Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in the respect of Bank Deposits.

I/We nominate the following person to whom in the event of my /our /minor's death the amount of Deposit, particulars whereof are given below, may be returned by Bank of India: (Name and address of branch / office in which the deposit held).

NOMINATION
SERIAL NO.

DETAILS OF DEPOSIT :

Type of Deposit : ACCOUNT NO:

DETAILS OF THE NOMINEE

NAME:

RELATIONSHIP WITH THE DEPOSITOR : AGE:

 DATE OF BIRTH OF NOMINEE:

ADDRESS:

CITY:

 PIN:

 STATE:

CIF NO. OF NOMINEE (to be filled by LCPC):

As the nominee is a minor on this date, I/We appoint Shri/Smt. age years

Address:

to receive the amount of the deposit on behalf of the nominee in the event of my / our / minor's death during the minority of the nominee.

Signature / Thumb impression of the Applicant(s)

Personal Details of Witnesses : (Witnesses are required only in case if applicant is illiterate and is affixing thumb impression)

Witness 1 Name :

Witness 1 Name :

Address :

Address :

Signature / Thumb Impression

Signature / Thumb Impression

Place : Date :

Place : Date :

APPLICANT DECLARATION

- I/We hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and I/We undertake to inform you of any changes therein, immediately. In case any of the information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/we am/are aware that I/we may be held liable for it.
- I/We certify that I/we have the capacity to sign for the entity as per the CBDT rules/RBI guidelines.
- I/We certify and declare that The Company does belong to the class of companies specified in sub-rule (2) of the Companies Rules 2017 (Restrictions on number of Layers) and it (Company) does not have more than two layers of subsidiaries. (As per the details given in Ministry of Corporate Affairs, Gazette notification No. 793 dated 21st Sept 2017).
- I/We affirm and declare that I/We have read over and understood the rules and regulations of the Bank of India (Bank) and those relating to various services offered by the Bank including but not limiting to debit card/Internet banking/SMS banking/Tele-banking/Mobile Banking/Virtual Banking and any other facilities. I/We agree to abide by the same as amended/modified from time to time by the Bank/ Regulator/ Government published through circulars, notifications, notice board/ websites/ newspaper publications, etc. I/We waive the rights, if any, to have personal notice in respect of such amendments/ modifications. I/We agree that the transactions and requests executed in my/our account(s) by me/authorized person through internet, mobile, tele-banking or virtual banking under my/our User ID and password/PIN/OTP will be legally binding on me/us & I/We am/are responsible for the maintenance of secrecy and confidentiality of the authentication credentials and any other information/ details/OTP/PIN, etc., in such matters. I/We agree that Bank has got all the rights to debit my/our account for any service charge, expenses or other dues which the Bank is entitled/ liable to recover from me. I/We also authorise the Bank and agree to close/ discontinue my account without any notice to me in case of any violation of laws/rules/ regulations or terms and conditions of maintaining the account. I/We hereby undertake to Inform the Bank on any change in my communication address or constitution, and I/We shall submit the address proof in case of transfer of my account from one branch to another branch.
- In respect of accounts opened on the basis of Aadhaar details, I hereby declare that I have submitted the Aadhaar Card issued by UIDAI for identification and / or address proof towards the compliance of KYC norms under the PMLA, 2002 and I hereby agree that the Bank may verify the same with UIDAI and authorise the UIDAI expressly to release the identity and address through biometric authentication to the Bank.
- I/We confirm and declare that I/We am/are not prevented/prohibited/restricted by any applicable legal/regulatory/contractual or other provisions from opening and/or maintaining the accounts or to transact with the Bank in any other way.
- I/We agree that my/our personal KYC details may be shared with Central KYC registry or any other competent authority. I/We hereby consent to receive information from the Bank/Central KYC Registry/Gol/RBI or any other authority through SMS/e-mail on my registered mobile number/ e-mail address. I/We also agree that the non-receipt of any such SMS/e-mail shall not make the Bank liable for any loss or damage whatsoever in nature.
- I/We hereby certify that I/We have declared my status as per the rules applicable under section 285BA of the Income Tax Act, 1961 as notified by Central Board of Direct Taxes (CBDT) vide Notification No. S.O. 2155(E) dated 7 August 2015 and RBI Circular Ref No. DBR.AML.BC.No.36/ 14.01.001/2015-16 dated 28 August 2015 in the matter including any subsequent modification/amendment thereof.
- I/We understand, acknowledge and authorize that as per the provisions of Income Tax Act, Rules made thereunder and the guidelines issued by the Government/RBI in the matter, depending upon the residential status and/or other criteria stipulated therein, the Bank may have to report the details in respect of my/our account(s) as per the prescribed format to the Central Board of Direct Taxes (CBDT) or other Government Agencies to comply with the obligations as per the Inter- Governmental Agreements (IGA) in respect of Foreign

Accounts Tax Compliance Act (FATCA) and Common Reporting Standards (CRS) and / or any other similar arrangements.

- I/We certify & declare that the information provided by me/us for opening account and availing other services herein or through website/electronically as applicable to me/us and signed/authenticated by me/us as well as in the documentary evidence provided by me/us for opening account and availing other services are, to the best of my/our knowledge and belief, true, correct and complete and that I/We have not withheld any material information that may affect the assessment/categorization of my/our account as a U.S. Reportable Account or Other Reportable Account or otherwise. In case any of the information or details provided by me/us is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/We am/are aware that I/We may be held liable for it.
- I/We undertake the responsibility to declare and disclose immediately and in no case beyond 30 days from the date of change, any changes that may take place in the information provided herein or otherwise, as well as in the documentary evidence provided by me or if any certification becomes incorrect or undergoes a change. I further undertake to provide fresh and valid self-certification along with documentary evidence as and when so required; nevertheless all declaration and undertaking given herein will also be applicable to all such modified/amended documents/information provided by me unless revised self-certification as above is provided to the Bank.
- I/We also agree that my/our failure to disclose any material fact/information known to me/us now or in future or my/our failure to remedy any deficiency in documents/ information/other details within the stipulated period, may invalidate me/us from transacting in the account and the Bank would be within its right to put restrictions in the operations of my account or to close it or to report to any regulator and/or any authority designated by the Government of India (Gol)/RBI for the said purpose or take any other action as may be deemed appropriate by the Bank under the guidelines issued by CBDT/RBI/Gol from time to time.
- I/We also agree to furnish and intimate to the Bank any other particulars that are called upon me/us to provide on account of any change in law either in India or abroad in relating to the operation or maintenance of the account.
- I/We shall indemnify the Bank from any loss/damage that may be caused to the Bank on account of any defect/mistake in the details provided herein or on account of providing incorrect or incomplete information by me/us.
- I/We undertake to submit data/information together with fresh KYC documents for updation of KYC details at periodical intervals as may be required by the Bank.
- I/We understand that the account will be activated and debits will be allowed only after completion of Customer Due Diligence relating to KYC by the Bank.
- I/We have been advised of Monthly average/minimum balance requirement for the account to be opened and given to understand that these requirements are subject to revision/change and such revision/changes will be uploaded in the Bank's site which will be acceptable to me as a notice to that effect.
- I/We Undertake to submit Aadhaar and / or PAN within 6 months from the date of opening of account, failing to which I understand my account will cease to be operational as per GOI guidelines, amending Prevention of Money laundering (Maintenance of Records) Rules 2005. (In case the account is opened without Aadhaar / PAN)
- In case, deemed OVDs are submitted for current address at the time of Account opening, I undertake to submit Aadhaar or any of the OVD having Current Address within 3 months from the date of account opening, failing to which I understand that my account may cease to be operational as per GOI guidelines at the material time.
- I confirm and undertake that I will not deal in Virtual Currencies and will not use my account for any services related Virtual Currencies or facilitate any person or entity, in dealing with or settling virtual currencies.
- I/We undertake to keep QAB (Quarterly Average Balance) in the account as prescribed under the respective account scheme and agree to pay the penalty if QAB is not maintained.

Please paste

photograph

here

Signature of Authorized Signatory 1 (Do not overlap)

Name:	
Designation:	
Date:	
Name, Signature, Seal and P.F. No. of the Verifying Official	

Please paste

photograph

here

Signature of Authorized Signatory 2 (Do not overlap)

Name:	
Designation:	
Date:	
Name, Signature, Seal and P.F. No. of the Verifying Official	

Please paste

photograph

here

Signature of Authorized Signatory 3 (Do not overlap)

Name:	
Designation:	
Date:	
Name, Signature, Seal and P.F. No. of the Verifying Official	

FOR OFFICE USE ONLY

1. APPLICANT(S) INTERVIEWED AND PURPOSE ASCERTAINED (SPECIFY THE PURPOSE): _____
2. WHETHER SELF - CERTIFICATION & DOCUMENTS SUBMITTED BY THE CUSTOMERS HAVE BEEN VERIFIED AND FOUND CORRECT AND RELIABLE: ☐ YES ☐ NO
(CARE : BRANCH TO PROCEED WITH OPENING OF ACCOUNT ONLY WHEN THIS CERTIFICATION IS "YES")
3. THRESHOLD LIMIT IS RS: _____
4. DOCUMENTS RECEIVED: ☐ SELF CERTIFIED ☐ TRUE COPIES ☐ NOTARY
5. RISK CATEGORY: ☐ HIGH ☐ MEDIUM ☐ LOW
6. IN PERSON VERIFICATION CARRIED OUT AND SIGNATURE OF THE APPLICANT VERIFIED BY: IDENTITY VERIFICATION: ☐ DONE
7. AUTHORISED OFFICIAL HAS VERIFIED THE ACTIVITY OF PROPRIETARY CONCERN AT THE ADDRESS MENTION IN ACCOUNT OPENING FORM: ☐ YES ☐ NO

OFFICIAL NAME: _____		PF NO.: _____	DESIGNATION: _____
DATE:	SS NO.: _____	SIGNATURE: _____	
OPEN CIF		TRANSACTION NO.	INITIALS
DATE:	(AUTHORISED SIGNATORY)	CIF:	

OPEN THE ACCOUNT

BRANCH MANAGER / AUTHORISED OFFICIAL (SIGNATURE)

ACCOUNT OPENED ON:	ACCOUNT NUMBER:
---	--------------------------------------

REMARKS (IF ANY): _____

ASSISTANT / OFFICER (SIGNATURE) NAME: _____ EMP/OFFICIAL NAME: _____ S.S No. / P.F No.: _____ EMP/OFF. DESIGNATION: _____ EMP/OFF. BRANCH: _____	OFFICER (SIGNATURE) NAME: _____ EMP/OFFICIAL NAME: _____ S.S No. / P.F No.: _____ EMP/OFF. DESIGNATION: _____ EMP/OFF. BRANCH: _____
---	---

ACCOUNT CLOSED ON: _____	ACCOUNT TRANSFERRED TO _____	BRANCH ON _____
--------------------------	------------------------------	-----------------

AUTHORISED OFFICIAL (SIGNATURE)

CURRENT ACCOUNT RULES

1. Whenever the customer does not use alternate channels for opening the Current Account, payments to credit of an account with the Bank should ordinarily be accompanied by a pay-in slip duly signed by the constituent. Slips with counterfoils will be supplied in book form and the entry of the transactions made in the counterfoil will be authenticated by the initials of an authorised employee of the Bank. The depositor should satisfy himself that the transaction is so certified.
2. Cheques must be drawn on the Bank's printed forms. The Bank reserves its right to refuse payment of any cheque drawn otherwise. The bank reserves the right to refuse payment of cheques that have been altered in any way unless the alteration is authenticated by the drawer under full signature. Cheques should be drawn in such a way as to prevent alteration after issue, and the signature should be uniform with that on record at the Bank.
3. Constituents should not overdraw their accounts, even for small amounts without having made previous arrangements. Overdraft are granted in current accounts on terms as per extant instructions. Interest will be charged at the rates stipulated by the Bank and calculated upon the daily balances.
4. The Bank will register instructions from the drawer regarding cheques lost, stolen, etc. but cannot guarantee depositors against loss in such cases in the event of such a cheque being paid.
5. The bank collects bills, drafts, cheques, pay and pension bills, etc. on behalf of constituents. In personal accounts, the Bank offers up to a specified limit immediate credit in respect of cheques, drafts, dividend warrants, etc., payable at outstation branches.
6. Local cheques, etc. will be cleared under CTS Clearing
7. Cheques, bills, etc. sent in for collection and credit of an account must not be drawn against until they have been realised.
8. Bills, notes, etc. not payable on demand, intended for realisation by the Bank, should be sent at least one clear day before due date.
9. The Bank accepts standing instructions on accounts for making periodic remittances, etc.
10. Statements of accounts will be sent to constituents periodically and can be obtained at any time on application. The entries of accounts should be carefully examined by the constituent, and, if any errors or omissions are discovered, the attention of the Bank must be drawn to them immediately. The Bank will not be responsible for any loss arising from neglect of this precaution.
11. Any change in the address of the constituent must be promptly advised to the Bank. In all their correspondence with the Bank and on pay-in slips etc. constituents should clearly mention the account number allotted at the time of opening of the account.
12. Accounts may be transferred at the request of the constituents to any other office of the Bank.
13. The Bank accepts securities and shares for safe custody and realisation of interest, dividends, etc. on terms which may be had on application.
14. The Bank reserves the right to alter/add to/delete any of these rules at any time.

INDUSTRY CODES

01. AIRLINES / AVIATION	15. CASINOS	29. IMPORT / EXPORT	43. STEEL / HARDWARE
02. ADVERTISING AGENCY	16. CEMENTS / PAINTS	30. MANUFACTURING	44. STOCKS & SHARES
03. AGRICULTURE / ALLIED INDUSTRIES	17. CHIT FUNDS	31. MONEY LENDER	45. TECH STARTUPS
04. AUTOMOBILES	18. CONSUMER DURABLES	32. MEDIA / ENTERTAINMENT	46. TELECOMMUNICATION
05. AUTOPARTS	19. COURIER / CARGO	33. MEDICAL / HEALTHCARE	47. TEXTILES / GARMENTS
06. AUTO FINANCE	20. CONSTRUCTION / REAL ESTATE	34. MARBLE & GRANITE	48. TRAVEL & TOURISM
07. ARMS DEALER	21. CONSULTANCY	35. OIL & GAS	49. TRANSPORTATION & LOGISTICS
08. BANKING / FINANCIAL SERVICES	22. ELECTRONICS	36. PETROL PUMPS	50. FOREX DEALERS / BULLION
09. ENGINEERING / CAPITAL GOODS	23. FURNITURE / TIMBER	37. PHARMACEUTICALS	51. PROFESSIONALS (DOCTOR, LAWYER, ENGG. CONSULTING, HR)
10. FERTILIZERS / CHEMICALS / SEEDS /	24. GOVERNMENT BODIES	38. POWER / ELECTRICITY	52. RETAIL CHAIN / FMCG
11. PESTICIDES	25. HOTELS / RESTAURANTS	39. PRINTING / PUBLISHING	53. IT SERVICES
12. FISHERIES / POULTRY	26. HOSPITALS / CLINICS/ NURSING HOME	40. RELIGIOUS INSTITUTIONS	
13. GEMS / JEWELLERY	27. INFRASTRUCTURE	41. SCIENCE & TECHNOLOGY	
14. CALL CENTERS / BPO	28. INSURANCE	42. SCHOOL / COLLEGES / INSTITUTES	

We declare and certify our entity status under Rules 114F to 114H of the Income tax Rules, 1962 notified vide CBDT Notification No. S.O. 2155(E) dated 7 August 2015 and RBI Circular Ref No. DBR.AML.BC.No.36/14.01.001/2015-16 dated 28 August 2015, as under:

Tick status of Financial Institution		Yes	No		
Name of Entity					
1.	a)	Depository Institution			
	b)	Custodial Institution			
	c)	Investment Entity which is not a passive NFE			
	d)	Specified Insurance Company			
2.	Owner-Documented FI with substantial US owner(s) details of substantial US Owner to be captured as per Annexure-II				
3.	Reporting Financial Institution				
4.	If 2 OR 3 above is yes, please provide Global Intermediary Identification Number (GIIN)				
5.	Non-Participating Financial Institution				
6.	Non-Reporting Financial Entity (If Yes, Please Tick one of the category in the Table below)				
S No.	Category of NRFI	(✓)	S No.	Category of NRFI	(✓)
1.	Governmental Entity;		13.	Provident fund	
2.	International Organisation;		14.	An Indian investment entity which is wholly held by NRFI's referred to in (i) to (xiii) above and where any debt interest is held by a depository institution or NRFI's referred to in (i) to (xiii) above	
3.	Central Bank;		15.	Qualified credit card Issuer;	
4.	Treaty Qualified Retirement Fund;		16.	Specified Investment entity as per CBDT rules (Rule 114F(5)(f));	
5.	Narrow Participation Retirement Fund;		17.	Exempt collective investment vehicle;	
6.	Broad Participation Retirement Fund;		18.	Trustee-documented Indian Trust;	
7.	Pension Fund of a Governmental Entity;		19.	Financial Institution with a local client base;	
8.	Pension Fund of an International Organisation;		20.	Local Bank (including Regional Rural Bank, Urban Cooperative Banks, State Cooperative Banks / District Central Cooperative Banks, Local Area Banks provided that the assets test as in Explanation (O) to Rule 114F(5);	
9.	Pension Fund of a Central Bank;		21.	Financial Institution with only low-value accounts;	
10.	Non-public fund of the armed forces;		22.	Sponsored investment entity and controlled foreign corporation (in case of any U.S. reportable account);	
11.	Employees state Insurance fund;		23.	Sponsored closely held investment vehicle (in case of any U.S. reportable account)	
12.	Gratuity Fund;		24.	An Indian investment entity which is wholly held by NRFI's referred to in (i) to (xiii) above and where any debt interest is held by a depository institution or NRFI's referred to in (i) to (xiii) above	
7.	Sponsored Investment Entity				
a)	GIIN of Sponsored entity				

We certify that we have the capacity to sign for the Financial Institution as per CBDT rules/RBI guidelines.

Date:

Place:

SIGNATURE(S)
NAME OF THE AUTHORIZED PERSON OF ENTITY

PERSONAL DETAILS OF CONTROLLING PERSON-CP (FOR PASSIVE NFE ONLY) / RELATED PERSON-RP/ BENEFICIAL OWNER

ANNEXURE II

(SEPARATE FORM FOR EACH CONTROLLING PERSON /RELATED PERSON/BENEFICIAL OWNER TO BE FILLED IN)

FOR OFFICE USE ONLY		BRANCH TO AFFIX RUBBER STAMP OF NAME AND CODE NO.	PHOTOGRAPH OF THE CONTROLLING PERSON/ RELATED PERSON/ BENEFICIAL OWNER.
APPLICATION TYPE*	☐ NEW ☐ UPDATE		
APPLICANT (CP/RP) CIF NO.:			
CP/RP Account No.:			

ENTITY NAME:

1. DETAILS OF CONTROLLING PERSON / RELATED PERSON / BENEFICIAL OWNER *
(Please refer General Instruction) :

1. A DETAILS OF CONTROLLING PERSON (For Passive NFE Only) :

☐ ADDITION OF CONTROLLING PERSON ☐ DELETION OF CONTROLLING PERSON ☐ UPDATE CONTROLLING PERSON DETAILS

KYC NUMBER (IF AVAILABLE *) : (IF KYC NUMBER IS AVAILABLE, ONLY C ONTROLLING TYPE & NAME IS MANDATORY)

TYPE OF CONTROL*:

IN CASE OF LEGAL PERSON : ☐ OWNERSHIP ☐ OTHER MEANS ☐ SENIOR MANAGING OFFICIALS

IN CASE OF TRUST: ☐ SETTLOR ☐ TRUSTEE ☐ PROTECTOR ☐ BENEFICIARY ☐ Others

IN CASE OF OTHER LEGAL ARRANGEMENT: ☐ SETTLOR-EQUIVALENT ☐ TRUSTEE-EQUIVALENT ☐ PROTECTOR-EQUIVALENT ☐ BENEFICIARY-EQUIVALENT ☐ OTHER-EQUIVALENT

IN CASE OF UNKNOWN ☐

1. B DETAILS OF RELATED PERSON

☐ ADDITION OF RELATED PERSON ☐ DELETION OFRELATED PERSON ☐ UPDATE RELATED PERSON DETAILS

KYC NUMBER OF RELATED PERSON (IF AVAILABLE*): (IF KYC NUMBER IS AVAILABLE, ONLY RELATED PERSON TYPE & NAME IS MANDATORY)

RELATED PERSON TYPE* : ☐ DIRECTOR ☐ PROMOTER ☐ KARTA ☐ TRUSTEE ☐ PARTNER ☐ AUTHORISED SIGNATORY

(MORE THAN ONE BOX CAN BE TICKED AS APPLICABLE) ☐ COURT APPOINTED OFFICIAL ☐ BENEFICIARY ☐ BENEFICIAL OWNER (SEE DEFINITION AT PAGE NO. 17) ☐ OTHERS

2. PERSONAL DETAILS* (Please refer Instruction G II at the end)

	P R E F I X	F I R S T N A M E	M I D D L E N A M E	L A S T N A M E
NAME (SAME AS ID PROOF)*:				
MAIDEN NAME (IF ANY)*:				
FATHER NAME*:				
SPOUSE NAME*:				
MOTHER NAME*:				
UID / AADHAAR NO.:			OR	AADHAAR ENROLMENT NO.:
DIN (DIRECTOR IDENTIFICATION NUMBER):				(MANDATORY IF RELATED PERSON TYPE IS DIRECTOR)
DATE OF BIRTH*:				
GENDER:	☐ M - MALE	☐ F - FEMALE	☐ T- TRANSGENDER	
MARITAL STATUS*:	☐ MARRIED	☐ UNMARRIED	☐ OTHERS	NATIONALITY: ☐ IN-INDIAN ☐ OTHERS COUNTRY CODE (ISO 3166)
RESIDENTIAL STATUS*:	☐ RESIDENT INDIVIDUAL	☐ NON RESIDENT INDIAN	☐ FOREIGN NATIONAL	☐ PERSON OF INDIAN ORIGIN
CITIZENSHIP*:	☐ INDIAN	☐ OTHERS		
OCCUPATION TYPE*:	☐ S - SERVICE	☐ PUBLIC SECTOR	☐ PRIVATE SECTOR	☐ GOVERNMENT SECTOR)
	☐ O - OTHERS	☐ PROFESSIONAL	☐ SELF EMPLOYED	☐ RETIRED ☐ HOUSE WIFE ☐ STUDENT)
	☐ B - BUSINESS	☐ NOT CATEGORIZED		
POLITICALLY EXPOSED PERSON:	☐ YES	☐ NO	Politically exposed person are individuals who are or have been entrusted with prominent public function in a foreign country, eg. Heads of States or of Governments, senior government / judicial / military officers, senior executives of state-owned corporations, important political party officials, etc.	
COUNTRY CODE OF TAX RESIDENCE*:		(CODE FOR INDIA IS "IN")		
COUNTRY OF TAX RESIDENCE IN INDIA ONLY AND NOT IN ANY OTHER COUNTRY OR TERRITORY OUTSIDE INDIA*	☐ YES	☐ NO	(IF NO, PLEASE FILL THE DETAILS IN COLOUMN 6 & 7 IN PAGE 2)	

PAN / TAX IDENTIFICATION NUMBER OR EQUIVALENT*: (IF JURISDICTION OF RESIDENCE FOR TAX PURPOSE IS INDIA ONLY, THE PAN IN THIS FIELD)

PLACE / CITY OF BIRTH*: COUNTRY CODE OF BIRTH*: (ISO 3166)

3. PROOF OF CURRENT ADDRESS

(ONE CERTIFIED COPY OF ANY ONE OF THE FOLLOWING OVD WITH CURRENT ADDRESS NEEDS TO BE SUBMITTED)

☐ A- PASSPORT ☐ B- VOTER ID CARD ☐ C- DRIVING LICENCE ☐ D- NREGA JOB CARD IDENTITY NUMBER:
☐ E- LETTER ISSUED BY NATIONAL POPULATION REGISTER CONTAINING ☐ F- AADHAAR Issued Date:
OR Date of Expiry:

PROOF OF ADDRESS FOR LIMITED PERIOD OF 3 MONTH (IN CASE OVD IN POINT NO.3 DOES NOT CONTAIN CURRENT ADDRESS)

ONE CERTIFIED COPY OF ANY ONE DEEMED OVD NEEDS TO BE SUBMITTED

ADDRESS TYPE*: ☐ RESIDENTIAL ADDRESS ☐ RESIDENTIAL ☐ BUSINESS ☐ REGISTERED OFFICE ☐ UNSPECIFIED

PROOF OF ADDRESS*: ☐ UTILITY BILLS ☐ MUNICIPAL TAX RECEIPT ☐ PENSION PAYMENT ORDER (PPO) ☐ LETTER OF ALLOTMENT OF ACCOMODATION FROM EMPLOYER ISSUED BY STATE/CENTRAL/GOVT/STATUTORY OR REGULATORY BODIES/PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS/SCHEDULED COMMERCIAL BANKS/FINANCIAL INSTITUTIONS/LISTED COMPANIES

4. ADDRESS DETAILS:

☐ PERMANENT SAME AS CURRENT ADDRESS

DOCUMENT NO. / IDENTIFICATION NUMBER*:
ISSUED BY*: ISSUE DATE*:
ISSUED AT*: EXPIRY DATE (IF APPLICABLE)*:
LINE 1*:
LINE 2*:
LINE 3*: CITY / TOWN / VILLAGE*:
DISTRICT*: PIN / POST CODE*:
STATE / UT NAME CODE*: COUNTRY CODE*: (ISO 3166)

5. CONTACT DETAILS (All communications will be sent on provided Mobile no./ Email- ID) (Please refer Instruction 'F' at the end)

TEL. (OFF): TEL. (RES):
FAX:
MOBILE 1: MOBILE 2:
EMAIL ID 1:
EMAIL ID 2:

6. MULTIPLE TAX RESIDENCY: Details of Country of Tax Residence (In addition to India) In US and/or In any other Country or Territory Outside India as Under:

COUNTRY OF TAX RESIDENCE#	TAX IDENTIFICATION NUMBER OR EQUIVALENT, IF ISSUED BY JURISDICTION	IDENTIFICATION TYPE (TIN OR OTHER, PLEASE SPECIFY)

In case, country of tax residence is India, PAN is treated as TIN.

1. A citizen of US including individual born in US but resident in another country (who has not given up US citizenship).
2. A person residing in US including US green card holder.
3. Certain persons who spend more than 180 days in US each year.

7. ADDRESS IN OUTSIDE JURISDICTION/COUNTRY - WHERE THE APPLICANT IS RESIDENT OUTSIDE INDIA FOR TAX PURPOSES

ADDRESS TYPE*: ☐ RESIDENTIAL / BUSINESS ☐ RESIDENTIAL ☐ BUSINESS ☐ REGISTERED OFFICE ☐ UNSPECIFIED
LINE 1*:
LINE 2*:
LINE 3*: CITY / TOWN / VILLAGE*:
DISTRICT*: PIN / POST CODE*:
STATE / UT NAME CODE*: COUNTRY CODE*: (ISO 3166)

8.

FORM - 60 (In Case PAN is not Available)

NAME:

(SAME AS ID PROOF)

IF APPLIED FOR PAN AND IT IS NOT YET GENERATED, ENTER DATE OF APPLICATION

& THE ACKNOWLEDGEMENT NUMBER

IF PAN IS NOT APPLIED, FILL ESTIMATED TOTAL INCOME (INCLUDING INCOME OF SPOUSE, MINOR CHILD, ETC.) AS PER SECTION 64 OF INCOME TAX ACT 1961 FOR FINANCIAL YEAR IN WHICH THE ABOVE TRANSACTION IS HELD

AGRICULTURE INCOME (RS)

OTHER THAN AGRICULTURAL INCOME

VERIFICATION

I, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief. I further declare I do not have a permanent account number and my/our estimated total income (including income of spouse, minor child, etc.) as per section 64 of Income Tax Act 1961 computed in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961 for the financial year in which the above transaction is held will be less than maximum amount not chargeable to tax.

Verified today, the day of 20 Place:

Signature of the Declarant

9. APPLICANT DECLARATION

- I/We hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and I/We undertake to inform you of any changes therein, immediately. In case any of the information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/we am/are aware that I/we may be held liable for it.
- My/Our personal KYC details may be shared with Central KYC Registry.
- I/We hereby consent to receiving information from central KYC Registry through SMS/Email on the above registered number/email address.
- I/We hereby certify that I/We have declared my status as per the rules applicable under section 285BA of the Income Tax Act, 1961 as notified by Central Board of Direct Taxes (CBDT) vide Notification No. S.O. 2155(E) dated 7 August 2015 and RBI Circular Ref No.DBR.AML.BC.No.36/ 14.01.001/2015-16 dated 28 August 2015 in the matter including any subsequent modification/amendment thereof.
- I/We understand, acknowledge and authorize that as per the provisions of Income Tax Act, Rules made thereunder and the guidelines issued by the Government/RBI in the matter, depending upon the residential status and/or other criteria stipulated therein, the Bank may have to report the details in respect of my/our account(s) as per the prescribed format to the Central Board of Direct Taxes (CBDT) or other Government Agencies to comply with the obligations as per the Inter- Governmental Agreements (IGA) in respect of Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) and Common Reporting Standards (CRS) and / or any other similar arrangements.
- I/We certify & declare that the information provided by me/us for opening account and availing other services herein or through website/electronically as applicable to me/us and signed/authenticated by me/us as well as in the documentary evidence provided by me/us for opening account and availing other services are, to the best of my/our knowledge and belief, true, correct and complete and that I/We have not withheld any material information that may affect the assessment/categorization of my/our account as a U.S. Reportable Account or Other Reportable Account or otherwise. In case any of the information or details provided by me/us is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/We am/are aware that I/We may be held liable for it.
- I/We undertake the responsibility to declare and disclose immediately and in no case beyond 30 days from the date of change, any changes that may take place in the information provided herein or otherwise, as well as in the documentary evidence provided by me or if any certification becomes incorrect or undergoes a change. I further undertake to provide fresh and valid self-certification along with documentary evidence as and when so required; nevertheless all declaration and undertaking given herein will also be applicable to all such modified/amended documents/information provided by me unless revised self certification as above is provided to the Bank.
- I/We also agree that my/our failure to disclose any material fact/information known to me/us now or in future or my/our failure to remedy any deficiency in documents/ information/other details within the stipulated period, may invalidate me/us from transacting in the account and the Bank would be within its right to put restrictions in the operations of my account or to close it or to report to any regulator and/or any authority designated by the Government of India (GoI)/RBI for the said purpose or take any other action as may be deemed appropriate by the Bank under the guidelines issued by CBDT/RBI/GoI from time to time.
- I/We also agree to furnish and intimate to the Bank any other particulars that are called upon me/us to provide on account of any change in law either in India or abroad in relating to the operation or maintenance of the account.
- I/We certify that I/we have the capacity to sign for the entity as per the CBDT rules/RBI guidelines.
- I/We shall indemnify the Bank from any loss/damage that may be caused to the Bank on account of any defect/mistake in the details provided herein or on account of providing incorrect or incomplete information by me/us.

DATE: PLACE:

Signature(s)

Name of the Applicant

ATTESTATION / FOR OFFICE USE ONLY

DOCUMENTS RECEIVED: ☐ SELF-CERTIFIED ☐ TRUE COPIES ☐ NOTARY

RISK CATEGORY:

☐ HIGH☐ MEDIUM☐ LOWIN PERSON VERIFICATION CARRIED OUT BY IDENTITY VERIFICATION: ☐ DONE

DATE:

EMP./OFFICIAL SIGNATURE

EMP./OFF. NAME:

P.F No.:

EMP./OFF. DESIGNATION:

EMP./OFF. BRANCH:

APPLICATION FORM FOR MULTIPLE CORRESPONDENCE/ LOCAL ADDRESS
(Separate Form to be filled in for multiple Address)

ANNEXURE III

INSTRUCTIONS:

FIELDS MARKED WITH * ARE MANDATORY

PLEASE FILL THE FORM IN ENGLISH AND IN BLOCK LETTERS

APPLICATION TYPE*: ☐ NEW ☐ UPDATE

KYC NUMBER (TO BE FILLED BY FINANCIAL INSTITUTION):

(KYC NUMBER OF ENTITY IS MANDATORY FOR UPDATE REQUEST)

PROOF OF ADDRESS (POA)

CORRESPONDENCE / LOCAL ADDRESS DETAILS*

☐ SAME AS CURRENT /PERMANENT/OVERSEAS ADDRESS DETAILS

ADDRESS TYPE*:

RESIDENTIAL OR BUSINESS ☐ RESIDENTIAL ☐ BUSINESS ☐ REGISTERED OFFICE ☐ UNSPECIFIED

LINE 1*:

LINE 2:

LINE 3:

DISTRICT*:

STATE /
UT NAME*:

CITY / TOWN NAME*:

COUNTRY NAME:

PIN / POST CODE*:

CONTACT DETAILS (If communication has to be done on Mobile/email the following Mobile No/Email ID will be used)

TEL. (OFF):

TEL. (RES):

MOBILE NO.:

FAX:

EMAIL ID:

APPLICANT DECLARATION

I/We hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and I/We undertake to inform you of any changes therein, immediately. In case any of the information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/we am/are aware that I/we may be held liable for it.

My/Our personal KYC details may be shared with Central KYC Registry.

I/We hereby consent to receiving information from central KYC Registry through SMS/Email on the above registered number/email address

DATE:

PLACE:

SIGNATURE (S)

NAME OF THE AUTHORIZED PERSON OF ENTITY

ATTESTATION / FOR OFFICE USE ONLY

DOCUMENTS RECEIVED: ☐ SELF-CERTIFIED ☐ TRUE COPIES ☐ NOTARY

RISK CATEGORY: ☐ HIGH ☐ MEDIUM ☐ LOW

IN PERSON VERIFICATION CARRIED OUT BY IDENTITY VERIFICATION: ☐ DONE

DATE:

EMP./OFFICIAL SIGNATURE

EMP./OFF. NAME:

P.F No.:

EMP./OFF. DESIGNATION:

EMP./OFF. BRANCH:

DECLARATION OF BENEFICIAL OWNERSHIP

ANNEXURE IV

(APPLICABLE TO COMPANY (EXCEPT THE COMPANY LISTED ON A STOCK EXCHANGE OR IN CASE OF A SUBSIDIARY OF SUCH A COMPANY), PARTNERSHIP FIRM, UNINCORPORATED ASSOCIATION OR BODY OF INDIVIDUALS AND TRUSTS).

1. NAME OF THE CUSTOMER: _____
(COMPANY, PARTNERSHIP FIRM, UNINCORPORATED ASSOCIATION OR BODY OF INDIVIDUALS AND TRUSTS)

2. REGISTERED NUMBER: _____
(IF AVAILABLE)

3. REGISTERED ADDRESS: _____

THE CUSTOMER AS STATED ABOVE HEREBY CONFIRMS AND DECLARES THAT AS ON DATE:

--	--	--	--	--	--

THE FOLLOWING **NATURAL PERSON(S)** (LISTED IN **TABLE BELOW**) EXERCISE CONTROL OR ULTIMATELY HAVE A CONTROLLING OWNERSHIP INTEREST I.E. HAVING OWNERSHIP /ENTITLEMENT OF **MORE THAN 25% (COMPANY) / MORE THAN 15% (PARTNERSHIP FIRM, UNINCORPORATED ASSOCIATION OF INDIVIDUALS) / MORE THAN OR EQUAL TO 15% (TRUST)** OF CAPITAL/PROFITS/PROPERTY OR CONTROLLING THROUGH VOTING RIGHTS, AGREEMENT, ARRANGEMENT ETC.

(FOR DEFINITION OF BENEFICIAL OWNER, SEE AT PAGE NO. 17)

SL NO.	FULL NAME OF BENEFICIAL OWNER / CONTROLLING NATURAL PERSON(S)	DATE OF BIRTH	NATIONALITY	ADDRESS	TYPE OF KYC DOCUMENTS	CONTROLLING OWNERSHIP INTEREST (%)

WE CERTIFY THAT THE FACTS STATED ABOVE ARE TRUE AND CORRECT. WE UNDERTAKE AND AGREE THAT WE WILL NOTIFY **BANK OF INDIA** WITHOUT DELAY OF ANY CHANGES IN THE CONTROLLING PERSONS, PERSON EXERCISING CONTROL OR HAVING CONTROLLING OWNERSHIP INTEREST IN THE COMPANY, PARTNERSHIP FIRM, UNINCORPORATED ASSOCIATION OR BODY OF INDIVIDUALS AND TRUSTS, AS DECLARED IN THE **TABLE ABOVE**.

FOR AND ON BEHALF OF (NAME OF COMPANY, PARTNERSHIP FIRM, UNINCORPORATED ASSOCIATION OR BODY OF INDIVIDUALS AND TRUSTS):

SIGNATURE OF THE AUTHORIZED OFFICIAL*: _____

FULL NAME OF THE AUTHORIZED OFFICIAL: _____

DESIGNATION / POSITION: _____

(in case of Private Limited Company/Trust, the declaration should be duly authorised by the Statutory Auditor of the Company/ Trust)

DATE: _____

PLACE: _____

Signature & Seal of Statutory Auditor

(*The declaration should be signed by an active / designated partner In case of Partnership Firm, a trustee in case of Trust)

For Branch use Only

We certify that the beneficial owner (s) of the said firm has / have been determined on the basis of declaration made by the above mentioned Company / Firm / Trust and the details furnished above have been verified from information, whenever available, in public domain.

(Signature of the Branch Head / Branch Operation Head)

Name: _____

P.F No.: _____

Date: _____

GENERAL INSTRUCTIONS:

A. Clarification / Guidelines for filling F or Office Use Only section

1. Account Type: Simplified should be used for FPI Category I and Category II only.
2. Account Holder Type:

US Reportable (FATCA)	Other Reportable (Other than FATCA)
F1- Owner- Documented FI with specified US owner(s)	C1- Passive Non- Financial Entity with one or more controlling person that is a Reportable person
F2- Passive Non Financial Entity with substantial US owner(s)	C2- Other Reportable Person
F3- Non- Participating FFI	C3- Passive Non- Financial Entity that is a CRS Reportable
F4- Specified US person	XX- Not Applicable
F5- Direct Reporting NFFE	
XX- Not Applicable	

B. Clarification / Guidelines for filling Entity Constitution type section

A- Sole Proprietorship	H- Trust	N- Foreign Portfolio
B- Partnership firm	I- Liquidator	O- Section 8 Companies (Companies Act, 2013)
C- HUF	J- Limited Liability Partnership	P- Artificial Judicial Person
D- Private Limited Company	K- Artificial Judicial Person	X- Not Categorized
E- Public Limited Company	L- Public Sector Banks	Z- Others
F- Society	M- Government Departments/ Agency	
G- Association of Persons (AOP)/ Body of Individuals (BOI)		

C. Clarification / Guidelines for filling Entity Details section

1. For sole proprietorship concerns, in case of non-availability of PAN, Form 60 needs to be furnished
2. Identification Type: T- TIN, C- Company Identification Number, G- US GILN, E- Global Entity Identification Number (EIN), O- Others
3. Date of Commencement of Business is mandatory for companies, and other entities may provide if applicable.

D. Clarification / Guidelines for filling Proof of Identity [PoI] section

1. Certified copies of all the relevant documents, as applicable, needs to be submitted.
2. KYC requirements for Foreign Portfolio Investors (FPIs) will be as specified by the concerned regulator from time to time.
3. Details of the Required Documents for different Entity Constitution Types are mentioned in Page 16 (KYC Documents Required)

E. Clarification / Guidelines for filling Proof of Address [PoA] section

1. State / U.T Name and Pin / Post Code will not be mandatory for Overseas addresses.
2. In case of multiple correspondence / local addresses, please fill Annexure III

F. Clarification / Guidelines for filling Contact Details section

1. Please mention two-digit country code and 10 digit mobile number (e.g. for Indian mobile number mention 91-9999999999).
2. Do not add 0 in the beginning of Mobile number.

G. Clarification / Guidelines for filling Controlling/Related Person Details section

- i. Fill Separate Annexure (A11) for each Controlling/Related Person/Beneficial Owner.
- ii. Personal Details
 - 1 Name: Please state the name with Prefix (Mr/Mrs/Ms/Dr/etc.). The name should match the name as mentioned in the Proof of Identity submitted falling which the application is liable to be rejected.
 - 2 Either father's name or spouse's name is to be mandatorily furnished. In case PAN is not available father's name is mandatory.
- iii. Resident outside India for tax purposes
 - 1 Provision for capturing multiple Tax residency details is made available (Annexure III)
 - 2 Tax Identification Number (TIN): TIN need not be reported if it has not been issued by the jurisdiction. However, if the said jurisdiction has issued a high integrity number with an

equivalent level of identification (functional equivalent), the same may be reported. Examples of that type of number for individual include, a social security/insurance number, citizen/personal identification/services code/number and resident registration number).

iv. Proof of Identity [PoI]

- 1 If driving license number or passport is provided as PoI then expiry date is to be mandatorily furnished.
- 2 Mention identification / reference number if Z- Others (any document notified by the central government) is ticked.

v. Proof of Address [PoA]

- 1 PoA to be submitted only if the submitted PoI does not have an address or address as per PoI is invalid or not in force.
- 2 State / U.T Name and Pin / Post Code will not be mandatory for Overseas addresses.

vi. Section 1 A to be filled for Controlling Person and Section 1 B to be filled for related Person.

- 1 The details of Controlling Persons are required only if the Legal Entity is Passive NFE as defined in the Income Tax Rules

viii. If KYC number of Related or Controlling person is available, no other details except Person Type and Name of the Controlling/Related Person are required.

C. Controlling Person means the natural person who exercises control over an entity and includes a beneficial owner as determined under sub-rule (3) of rule 9 of the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005.

Explanation 1.- In determining the beneficial owner, the procedure specified in the following circular as amended from time to time shall be applied, namely:-

- (i) DBOD/AML/BC. No.71/14.01.001/2012-13, Issued on the 18th January, 2013 by the Reserve Bank of India; or
- (ii) CIR/MIRSD/2/2013, Issued on the 24th January, 2013 by the Securities and Exchange Board of India; or
- (iii) IRDA/SDD/GDL/CIR/019/02/2013, issued on the 4th February, 2013 by the Insurance Regulatory and Development Authority.

Explanation 2.- In the case of a trust, the controlling person means the settlor, the trustees, the protector (if any), the beneficiaries or class of beneficiaries and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust and in the case of a legal arrangement other than a trust, the said expression means the person in equivalent or similar position.

Type of legal entity	Type of controlling person (CP)	Permissible values
Sole proprietorship	Sole proprietor	CP not required
Hindu Undivided Family	Karta	C09 CP of legal arrangement - Other-settlor equivalent; or C10- CP of legal arrangement - Other-Trustee equivalent
Partnership	Each Coparcener	C12 - CP of legal arrangement - Other-beneficiary equivalent
	Ownership	C01- CP of legal person - ownership
	Other means	C01- CP of legal person - other means
	Senior managing officials	C03 - CP of legal person - senior managing official
Company	Ownership	C01 -CP of legal person - ownership
	Other means	C02 -CP of legal person - other means
	Senior managing official	C03 - CP of legal person - senior managing official
Society	Ownership	C01 -CP of legal person - ownership
	Other means	C02 - CP of legal person - other means
	Senior managing official	C03 - CP of legal person - senior managing official
AOP/BOI	Members (owners)	C01 - CP of legal person - ownership
	Settlor Equivalent	C09 CP of legal arrangement Other -settlor equivalent
	Trustee equivalent	C10 CP of legal arrangement Other -trustee equivalent
	Protector Equivalent	C11 CP of legal arrangement Other -protector equivalent
	Beneficiary Equivalent	C12 CP of legal arrangement Other -beneficiary equivalent
	Others	C13 CP of legal arrangement Other -Other equivalent
Trust	Settlor	C04 CP of legal arrangement Trust-settlor
	Trustee	C05 CP of legal arrangement Trust-trustee
	Protector	C06 CP of legal arrangement Trust-protector
	Beneficiary	C07 CP of legal arrangement Trust-beneficiary
	Others	C08 CP of legal arrangement Trust-Other
Liquidator		CP not required
Limited Liability Partnership	Partners (ownership)	C01 - CP of legal person - ownership
	Other means	C02-CP of legal person - other means
	Senior Managing officials	C03 - CP of legal person - senior managing official
Artificial Judicial Person	Equivalent of Settlor	C09 CP of legal arrangement Other -settlor equivalent
	Trustee	C10 CP of legal arrangement - Other -trustee equivalent
	Protector	C11 CP of legal arrangement - Other -protector equivalent
	Beneficiary	C12 CP of legal arrangement - Other -beneficiary equivalent
	Others	C13 CP of legal arrangement - Other - Other equivalent

H.	Passive NFE : It means - Any NFE which is not an Active NFE, or - An investment entity the gross income of which is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in financial assets, if the entity is managed by another entity that is a depository institution, a custodial institution, a specified insurance company, or an investment entity described in the note below. - Not a withholding foreign partnership or withholding foreign trust (Withholding foreign partnership means a foreign partnership that has entered into a withholding agreement with the United States of America in which it agrees to assume primary withholding responsibility for all payments which are made to it for its partners, beneficiaries or owners). Note:- - Any entity that primarily conducts as a business one or more of the following activities or operations for or on behalf of a customer, namely:- - Trading in money market instruments (Cheques, bills, certificates of deposit, derivatives etc.); foreign exchange; exchange, interest rate and index instruments; transferable securities; or commodity futures trading; or - Individual and collective portfolio management; or - Otherwise investing, administering, or managing financial assets or money on behalf of other persons. Explanation 1:- An entity is treated as primarily conducting as a business one or more of the activities described in 1 above, or an entity's gross income is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in financial assets for purposes of Investment Entity that is a Passive Entity, if the entity's gross income attributable to the relevant activities equals or exceeds 50 percent of the entity's gross income during the shorter of: (i) the three-year period ending on 31st March of the year preceding the year in which the determination is made; or (ii) the period during which the entity has been in existence. Explanation 2:- The term investment entity does not include an entity that is an active non-financial entity because it meets any of the criteria in sub-clauses (iv), (v), (vi) or (vii) of clause (A) of Explanation to clause (6) of Rule 114F. Passive income - includes income by way of: (i) dividends; (ii) interest; (iii) income equivalent to interest; (iv) rents and royalties (other than rents and royalties derived in the active conduct of a business conducted, at least in part, by employees of the non-financial entity); (v) annuities; (vi) the excess of gains over losses from the sale or exchange of financial assets that gives rise to the passive income; (vii) the excess of gains over losses from transactions (including futures, forwards, options, and similar transactions) in any financial assets; (viii) the excess of foreign currency gains over foreign currency losses; (ix) net income from swaps; or (x) amounts received under cash value insurance contracts. Provided that passive income will not include, in the case of a non-financial entity that regularly acts as a dealer in financial assets, any income from any transaction entered into in the ordinary course of such dealer's business as such a dealer. Related Entity - an entity is a related entity of another entity if either entity controls the other entity, or the two entities are under common control. Explanation - For the purpose of this clause control includes direct or indirect ownership of more than fifty per cent of the vote and value in an entity.
I.	Active NFE is any one of the following - less than fifty per cent of the entity's gross income for the preceding financial year is passive income and less than fifty per cent of the assets held by the entity during the preceding financial year are assets that producer are held for the production of passive income; OR - the stock of the entity is regularly traded on an established securities market or the non-financial entity is a related entity of an entity, the stock of which is regularly traded on an established securities market. Explanation - For the purpose of this sub-clause, an established securities market means an exchange that is recognized and supervised by a Governmental authority in which the securities market is located and that has a meaningful annual value of shares traded on the exchange; OR - the entity is a Governmental Entity or an International Organization or a Central Bank or an entity wholly owned by one or more of the foregoing; OR - substantially all of the activities of the entity consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a financial institution. Provided that an entity shall not qualify for this status if it functions as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes; OR - the entity is not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a financial institution, provided that the entity shall not qualify for this exception after the date that is twenty-four months after the date of the initial organization of the entity OR - the entity was not a financial institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with intent to continue or recommence operations in a business other than that of a financial institution; OR - the entity primarily engages in financing and hedging transactions with, or for, related entities which are not financial institutions, and does not provide financing or hedging services to any entity which is not a related entity, provided that the group of any such related entities is primarily engaged in a business other than that of a financial institution; OR - the entity meets all of the following requirements, namely:- - It is established and operated in India exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in India and it is a professional organization, business league, chamber of commerce, labour organization, agricultural or horticultural organization, civic league or an organization operated exclusively for the promotion of social welfare; - It is exempt from income-tax in India; - It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets; - The applicable laws of the entity's country or territory of residence or the entity's formation documents do not permit any income or assets of the entity to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable entity other than pursuant to the conduct of the entity's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the entity has purchased; and - The applicable laws of the entity's country or territory of residence or the entity's formation documents require that, upon the entity's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a Governmental Entity or other non-profit organization, or escheat to the government of the entity's jurisdiction of residence or any political subdivision thereof. Explanation - For the purpose of this sub-clause, the following shall be treated as fulfilling the criteria provided in the said sub-clause, namely:- - an Investor Protection Fund referred to in clause (23EA); - a Credit Guarantee Fund Trust for Small Industries referred to in clause 23EB; and - an Investor Protection Fund referred to in clause (23EC), of section 10 of the Act
J.	A US Person is any of the following - A U. S. citizen or Tax Resident of US; OR - A partnership or a corporation organized in the US or under the law of the US or any states thereof; OR - A trust (i) where a court within the United States would have authority under applicable law to render orders or judgments concerning substantially all issues regarding administration of the trust, and (ii) one or more U. S. Persons have the authority to control all substantial decisions of the trust, OR - an estate of the decedent that is a citizen or resident of the United States.
K.	Specified US Person - A US Person other than the following - A corporation the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets - Any corporation that is a member of the same expanded affiliated group, as defined in section 1471(c)(2) of the U.S. Internal Revenue Code, as a corporation described in clause (a) - The United States or any wholly owned agency or instrumentality thereof - Any State of the United States, any U. S. Territory, any political subdivision of any of the foregoing, or any wholly owned agency or instrumentality of any one or more of the foregoing - Any organization exempt from taxation under section 501(a) of the U.S. Internal Revenue Code or an individual retirement plan as defined in section 7701(a)(37) of the U.S. Internal Revenue Code - Any bank as defined in section 581 of the U. S. Internal Revenue Code; - Any real estate investment trust as defined in section 856 of the U. S. Internal Revenue Code - Any regulated investment company as defined in section 851 of the U. S. Internal Revenue Code or any entity registered with the U.S. Securities and Exchange Commission under the Investment Company Act of 1940 (15 U.S.C. 80a-64) - Any common trust fund as defined in section 584(a) of the U. S. Internal Revenue Code; - Any trust that is exempt from tax under section 664(c) of the U. S. Internal Revenue Code or that is described in section 4947(a)(1) of the U.S. Internal Revenue Code - A dealer in securities, commodities, or derivative financial instruments (including notional principal contracts, futures, forwards, and options) that is registered as such under the laws of the United States or any State; - A broker as defined in section 6045(c) of the U.S. Internal Revenue Code - Any tax-exempt trust under a plan that is described in section 403(b) or section 457(g) of the U.S. Internal Revenue Code
L.	Direct Reporting NFFE A direct reporting NFFE will mean an NFFE that elects to report directly to the US IRS certain information about its direct or indirect substantial U.S. owners, in lieu of providing such information to FIs with which the NFFE holds a financial account. Direct Reporting NFE registers with the US IRS to obtain GIIN. Such Direct Reporting NFFEs are required to be reported under Rules 114F to 114H

COUNTRY CODES (ISO 3166)

Country	Country Code	Country	Country Code	Country	Country Code	Country	Country Code
Afghanistan	AF	Dominican Republic	DO	Libya	LY	Saint Pierre and Miquelon	PM
Aland Islands	AX	Ecuador	EC	Liechtenstein	LI	Saint Vincent and the Grenadines	VC
Albania	AL	Egypt	EG	Lithuania	LT	Samoa	WS
Algeria	DZ	El Salvador	SV	Luxembourg	LU	San Marino	SM
American Samoa	AS	Equatorial Guinea	GQ	Macao	MO	Sao Tome and Principe	ST
Andorra	AD	Eritrea	ER	Macedonia, the former Yugoslav Republic of	MK	Saudi Arabia	SA
Angola	AO	Estonia	EE	Madagascar	MG	Senegal	SN
Anguilla	AI	Ethiopia	ET	Malawi	MW	Serbia	RS
Antarctica	AQ	Falkland Islands (Malvinas)	FK	Malaysia	MY	Seychelles	SC
Antigua and Barbuda	AG	Faroe Islands	FO	Maldives	MV	Sierra Leone	SL
Argentina	AR	Fiji	FJ	Mali	ML	Singapore	SG
Armenia	AM	Finland	FI	Malta	MT	Sint Maarten (Dutch part)	SX
Aruba	AW	France	FR	Marshall Islands	MH	Slovakia	SK
Australia	AU	French Guiana	GF	Martinique	MQ	Slovenia	SI
Austria	AT	French Polynesia	PF	Mauritania	MR	Solomon Islands	SB
Azerbaijan	AZ	French Southern Territories	TF	Mauritius	MU	Somalia	SO
Bahamas	BS	Gabon	GA	Mayotte	YT	South Africa	ZA
Bahrain	BH	Gambia	GM	Mexico	MX	South Georgia and the South Sandwich Islands	GS
Bangladesh	BD	Georgia	GE	Micronesia, Federated States of	FM	South Sudan	SS
Barbados	BB	Germany	DE	Moldova, Republic of	MD	Spain	ES
Belarus	BY	Ghana	GH	Monaco	MC	Sri Lanka	LK
Belgium	BE	Gibraltar	GI	Mongolia	MN	Sudan	SD
Belize	BZ	Greece	GR	Montenegro	ME	Suriname	SR
Benin	BJ	Greenland	GL	Montserrat	MS	Svalbard and Jan Mayen	SJ
Bermuda	BM	Grenada	GD	Morocco	MA	Swaziland	SZ
Bhutan	BT	Guadeloupe	GP	Mozambique	MZ	Sweden	SE
Bolivia, Plurinational State of	BO	Guam	GU	Myanmar	MM	Switzerland	CH
Bonaire, Sint Eustatius and Saba	BQ	Guatemala	GT	Namibia	NA	Syrian Arab Republic	SY
Bosnia and Herzegovina	BA	Guernsey	GG	Nauru	NR	Taiwan, Province of China	TW
Botswana	BW	Guinea	GN	Nepal	NP	Tajikistan	TJ
Bouvet Island	BV	Guinea-Bissau	GW	Netherlands	NL	Tanzania, United Republic of	TZ
Brazil	BR	Guyana	GY	New Caledonia	NC	Thailand	TH
British Indian Ocean Territory	IO	Haiti	HT	New Zealand	NZ	Timor-Leste	TL
Brunei Darussalam	BN	Heard Island and McDonald Islands	HM	Nicaragua	NI	Togo	TG
Bulgaria	BG	Holy See (Vatican City State)	VA	Niger	NE	Tokelau	TK
Burkina Faso	BF	Honduras	HN	Nigeria	NG	Tonga	TO
Burundi	BI	Hong Kong	HK	Niue	NU	Trinidad and Tobago	TT
Cabo Verde	CV	Hungary	HU	Norfolk Island	NF	Tunisia	TN
Cambodia	KH	Iceland	IS	Northern Mariana Islands	MP	Turkey	TR
Cameroon	CM	India	IN	Norway	NO	Turkmenistan	TM
Canada	CA	Indonesia	ID	Oman	OM	Turks and Caicos Islands	TC
Cayman Islands	KY	Iran, Islamic Republic of	IR	Pakistan	PK	Tuvalu	TV
Central African Republic	CF	Iraq	IQ	Palau	PW	Uganda	UG
Chad	TD	Ireland	IE	Palestine, State of	PS	Ukraine	UA
Chile	CL	Isle of Man	IM	Panama	PA	United Arab Emirates	AE
China	CN	Israel	IL	Papua New Guinea	PG	United Kingdom	GB
Christmas Island	CX	Italy	IT	Paraguay	PY	United States	US
Cocos (Keeling) Islands	CC	Jamaica	JM	Peru	PE	United States Minor Outlying Islands	UM
Colombia	CO	Japan	JP	Philippines	PH	Uruguay	UY
Comoros	KM	Jersey	JE	Pitcairn	PN	Uzbekistan	UZ
Congo	CG	Jordan	JO	Poland	PL	Vanuatu	VU
Congo, the Democratic Republic of the	CD	Kazakhstan	KZ	Portugal	PT	Venezuela, Bolivarian Republic of	VE
Cook Islands	CK	Kenya	KE	Puerto Rico	PR	Viet Nam	VN
Costa Rica	CR	Kiribati	KI	Qatar	QA	Virgin Islands, British	VG
Cote d'Ivoire	CI	Korea, Democratic People's Republic of	KP	Reunion	RE	Virgin Islands, U.S.	VI
Croatia	HR	Korea, Republic of	KR	Romania	RO	Wallis and Futuna	WF
Cuba	CU	Kuwait	KW	Russian Federation	RU	Western Sahara	EH
Curacao	CW	Kyrgyzstan	KG	Rwanda	RW	Yemen	YE
Cyprus	CY	Lao People's Democratic Republic	LA	Saint Barthelemy	BL	Zambia	ZM
Czech Republic	CZ	Latvia	LV	Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha	SH	Zimbabwe	ZW
Denmark	DK	Lebanon	LB	Saint Kitts and Nevis	KN		
Djibouti	DJ	Lesotho	LS	Saint Lucia	LC		
Dominica	DM	Liberia	LR	Saint Martin (French part)	MF		

STATE CODES

LIST OF TWO-DIGIT STATE / U.T CODES AS PER INDIAN MOTOR VEHICLE ACT, 1988 I

State/U.T	Code	State/U.T	Code	State/U.T	Code
Andaman & Nicobar	AN	Himachal Pradesh	HP	Pondicherry	PY
Andhra Pradesh	AP	Jammu & Kashmir	JK	Punjab	PB
Arunachal Pradesh	AR	Jharkhand	JH	Rajasthan	RJ
Assam	AS	Karnataka	KA	Sikkim	SK
Bihar	BR	Kerala	KL	Tamil Nadu	TN
Chandigarh	CH	Lakshadweep	LD	Telangana	TS
Chhattisgarh	CG	Madhya Pradesh	MP	Tripura	TR
Dadra and Nagar Haveli	DN	Maharashtra	MH	Uttar Pradesh	UP
Daman & Diu	DD	Manipur	MM		UA
Delhi	DL	Meghalaya	ML	West Bengal	WB
Goa	GA	Mizoram	MZ	Other	XX
Gujarat	GJ	Nagaland	NL		
Haryana	HR	Orissa	OR		

KYC Documents Required for opening Current Accounts:

Sl No	Type of Entity	KYC Documents
1	KYC documents required from each Individual Constituent related to the entity	a) One Certified copy of Officially Valid Document (OVD) containing details of Identity and Address; b) Recent Photograph; c) Permanent Account Number (PAN) or Form 60 as defined in Income Tax Rule, 1962; and d) Any Document in support of nature of business or financial status acceptable to bank.
2	Proprietorship Firms	(a) Documents listed at para 1 from Proprietor, Authorised Signatory or the Power of Attorney Holder; (b) Proprietorship Letter in Bank's format; (c) Any two of the following documents as a proof of business / activity in the name of the proprietary firm - i. Registration certificate ii. Certificate/licence issued by the municipal authorities under Shop and Establishment Act. iii. Sales and income tax returns. iv. CST/VAT/ GST certificate (provisional/final) v. Certificate/registration document issued by Sales Tax/Service Tax/Professional Tax authorities. vi. IEC (Importer Exporter Code) issued to the proprietary concern by the office of DGFT or Licence/certificate of practice issued in the name of the proprietary concern by any professional body incorporated under a statute. vii. Complete Income Tax Return (not just the acknowledgement) in the name of the sole proprietor where the firm's income is reflected, duly authenticated/acknowledged by the Income Tax authorities. viii. Utility bills such as electricity, water, landline telephone bills, etc. of the premise where have business carried out ix. Licence / Certificate of practice issued in the name of the proprietary concern by any professional body incorporated under statute (e.g. Certificate of Practice issued by Institute of Chartered Accountants of India, Institute of Cost Accountants of India, Institute of Company Secretary of India, etc.)
3	Partnership Firms	a) Documents listed at para 1 from each Partner or Beneficial Owners as defined on page no. 17 below, Authorised Signatory or the Power of Attorney Holder; b) Registration Certificate c) Partnership Deed d) PAN of Partnership Firm e) A declaration containing the names of all the beneficial owners together with their share in the Firm / controlling interest / stake duly signed by authorized signatory (Annexure IV). f) Partnership letter signed by all partners. POA granted to partner(s) or employee of the firm to transact on behalf of firm.
4	Limited Companies	a) Documents listed at para 1 from each person, i.e. Chairman, Directors, Secretary, major shareholders etc. of all related persons or Beneficial Owners as defined at page no. 17 below and from, Authorised Signatory or the Power of Attorney Holder; b) Certificate of Incorporation (for verification and return). A certified copy duly signed by authorized signatory to be retained; c) Memorandum of Association and Articles of Association; d) Permanent Account Number of the company; e) Resolution from the Board of Directors and power of attorney granted to its managers, officers or employees to transact on its behalf; f) A declaration containing the names of all the beneficial owners together with their share holding pattern / controlling interest / stake duly signed by authorized signatory of the entity (Annexure IV); g) Certificate of Commencement of business (in case of public limited company); h) Certificate of Registrar of Joint Stock Companies stating that the company is entitled to commence business (for verification, entry in the power of Attorney Register). A copy of the same to be retained. This certificate is not required when, (a). Company is a private company, (b) The Company was registered before 1913 and does not invite the public to subscribe for shares, (c) the company is limited by guarantee and does not have a share capital. i) Certified copy of Board resolution regarding opening and regulating the conduct of account, obtained on the following lines – "We hereby certify that the following resolution of the Board of Directors of the company was passed in a meeting of the Board held on and has been duly recorded in the minute book of the said company:- Resolved – that a bank account for the company be opened with the Bank of India, and the said Bank be and is hereby authorized to honour Cheques, Bills of Exchange or Promissory Notes drawn, accepted or made on behalf of the company by and to act on any instruction so given relating to the account, whether the same be overdrawn or not, or relating to the transactions of the company" Sd/- Chairman Sd/- Directors Sd/- Secretary
5	Societies / Association / Clubs	a) Documents listed at para 1 from each person i.e., Chairman, Directors, Secretary, major shareholders etc. of all related persons or Beneficial Owners as defined at page no. 17 below, and from Authorised Signatory or the Power of Attorney Holder; b) Registration Certificate, in case of registered entity. c) PAN / Form 60 of the entity d) Copy of Laws and by-laws and resolution of the society regarding opening and operational instructions of account. e) Power of attorney granted to transact on its behalf f) A declaration containing the names of all the beneficial owners together with their share holding pattern / controlling interest / stake duly signed by authorized signatory (Annexure IV). g) Such information as may be required by the bank to collectively establish the legal existence of such society / association / club.
6	Hindu Undivided Family (HUF)	a) Documents listed at para 1 from major coparceners and Karta of HUF; b) Joint Hindu Family Letter to be obtained and signed by all the adult coparceners. c) PAN of HUF d) Declaration from the Karta e) On death of a coparcener, birth of a coparcener attaining majority (18 years), a fresh Joint Hindu Family letter to be executed declaration that a) the depositor is the Karta of the Joint Family b) the deposit belongs to Joint Hindu Family.
7	Trusts	a) Documents listed at para 1 from each trustees, executors, administrators, etc. of all related persons or Beneficial Owners as defined at page no. 17 below, Authorised Signatory or the Power of Attorney Holder; b) Registration Certificate c) Trust Deed d) PAN or Form 60 of the Trust e) A declaration containing the names of all the beneficial owners together with their share holding pattern / controlling interest / stake duly signed by authorized signatory (Annexure IV). f) Copy of relevant extract of the trust deed to be obtained and perused, with special emphasis on the power of the trustees to sign cheques, delegation of authority, borrow money, etc. The relevant portions are entered in the power of attorney register. g) Copy of resolution for opening of account. h) Power of attorney granted to transact business on its behalf (wherever applicable).

KYC Documents Required for opening Current Accounts:

Sl No	Type of Entity	KYC Documents
8	Unincorporated Association or body of Individuals	a) Documents listed at para 1 from each person, i.e. Chairman, Directors, Secretary, major shareholders etc. of all related persons or Beneficial Owners as defined at page no. 17 below, Authorised Signatory or the Power of Attorney Holder; b) Resolution of the managing body of such association or body of individuals. c) PAN / Form 60 of the entity d) Power of attorney granted to transact on its behalf e) Such information as may be required by the bank to collectively establish the legal existence of such an association or body of individuals. f) A declaration containing the names of all the beneficial owners together with their share holding pattern / controlling interest / stake duly signed by authorized signatory (Annexure IV). g) In Case of Political Parties, along with above mentioned document these 4 other documents will also be attached: i. from the Election Commission confirming that "the political party is registered under section 29A of Representation of people Act, 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last general election to the House of the People or the Legislative Assembly, as the case may be". ii. Memorandum or Rules and regulations of the political party. iii. Photograph of the person who has been authorised to transact the account, i.e. to whom Power of Attorney is granted. iv. Documents in respect of proof of address of the political party.
9	Executors, Administrators and Liquidators	a) Documents listed at para 1 from each Executors, Administrators Liquidators, All related persons or Beneficial Owners as defined at page no. 17 below; b) Probate or letter of administration or authority under the Companies Act to be obtained (for verification). A copy of the same is retained, and enter in miscellaneous and Liquidators documents register. i. In case more than one executors / administrators / liquidators are appointed, letter of authority signed by all of them regulating the conduct of the account, must be obtained. ii. Executors / administrators / liquidators cannot normally delegate their powers to third parties. iii. With respect to an entity, any official document issued by an authorised Government body, including a Government agency or a municipality, which includes the name of the entity and either the address of its principal office in the country or territory in which it claims to be a resident or the country or territory in which the entity was incorporated or organised; iv. TIN letter issued by the respective Government body/agency in case of entity resident in any country or territory outside India. v. Executors / Administrators / Liquidators normally cannot delegate their powers to the third party
10	Govt. Authorities and Juridical Persons	a) Documents showing name of the persons authorized to act on behalf of the entity; b) Documents listed at para 1 from each Authorised Signatory or the Power of Attorney Holder; c) Such documents as may be required to bank to establish the legal existence of such entity / juridical person.

If partnership/trust deed is unregistered, the account must be opened under "Unincorporated Association"

Officially Valid Documents:

The list of OVDs consist only the following Six:

1. Passport
2. Driving licence
3. Proof of possession of Aadhaar Number : Where the customer submit his proof of position of Aadhaar Number as on OVD, he may submitted in such form as are issued by the Unique Identification Authority of India
4. Voter's Identity Card issued by Election Commission of India
5. Job card issued by NREGA duly signed by an officer of the State Government
6. Letter issued by the National Population Register containing details of name, address.

Deemed Officially Valid Documents for Limited Purpose of current address, if Aadhaar is not taken as OVD

The following documents shall be deemed to be officially valid documents for the limited purpose of proof of Current Address for 3 month.

- (i) Utility bill which is not more than two months old of any service provider (electricity, Telephone, post-paid mobile phone, piped gas, water bill).
- (ii) Property or Municipal Tax Receipt
- (iii) Pension or Family Pension Payment Orders (PPOs) issued to retired employees by Government Departments or Public Sector Undertakings, if they contain the address
- (iv) Letter of allotment of accommodation from employer issued by State Government or Central Government Departments, statutory or regulatory bodies, Public Sector Undertakings, Scheduled Commercial Banks, Financial Institutions and Listed Companies and leave and license agreements with such employers abtaining official accommodation.

If the proof of address as per Aadhaar (OVD) provided does not contained current address, A Self Declaration of current address is required as proof of current address

WHO IS A BENEFICIAL OWNER:

The beneficial owner, as per Rule 9(3) of PML Amendment Rules 2013 is determined as under:

- (a) where the customer is a company, the beneficial owner is natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has/have a controlling ownership interest or who exercises control through other means.
Explanation: - For the purpose of this sub-clause:
i) "Controlling ownership interest" means ownership of or entitlement to more than twenty-five percent of shares or capital or profits of the company;
- ii) "Control" shall include the right to appoint majority of directors or to control the management or policy decisions including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements.
- (b) Where the customer is a partnership firm, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has/have ownership of /entitlement to more than 15% of capital or profits of partnership;

- (c) Where the customer is an unincorporated association or body of Individuals, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has/have ownership of or entitlement to more than 15% of the property or capital or profits of such associations or body of individuals.
Explanation: Term 'body of individuals' includes societies. Where no natural person is identified under (a), (b) or (c) above, the beneficial owner is the relevant natural person who holds the position of senior managing official.
- (d) Where the client is the trust, the identification of the beneficial owner(s) shall include identification of the author of the trust, the trustee, the beneficiaries with 15% or more interest in the trust and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust through a chain of control or ownership.
- (e) Where the client or the owner of the controlling interest is a company listed on a stock exchange or is a subsidiary of such a company, it is not necessary to identify and verify the identity of any shareholder or beneficial owner of such companies.

----- TEAR FROM HERE (Please make sure the above machine readable code is not damaged while tearing off) -----

ACKNOWLEDGEMENT

1. NAME: _____ DATE: _____

2. DOCUMENTS DEPOSITED (i) _____

(ii) _____ (iii) _____

(iv) _____ (v) _____

BRANCH MANAGER